— सम्पादक —
डा० हारून रशीद सिद्दीकी
— सहायक —
मु० गुफरान नदवी
मु० सरवर फारूकी नदवी
मु० हसन अन्सारी
हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही !
मजलिसे सहाफत व नशरियात
पो० बॉ० नं० 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 0522-2740406
फैक्स : 0522-2741231
e-mail :
nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	रु० 9/-
वार्षिक	रु० 100/-
विशेष वार्षिक	रु० 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	25 यूएस डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें :
"सच्चा राही"
पता : सेक्रेटरी मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा,
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ़्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात, टैगोर मार्ग नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

H.I.Computer Institute - 9335214913

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

फरवरी, 2007 | वर्ष 5 | अंक 12

मुस्लिम विद्यार्थी

हम क़ौम की आवाज़ हैं
मुल्क व वतन का साज़ हैं
शाहीन हैं शहबाज़ हैं
हम माइले परवाज़ हैं
मिल्लत का हम एअ़ज़ाज़ हैं
सरमाय-ए-सद नाज़ हैं
हम बूए गुल्हाए चमन
मेहरे ताबां की किरन
मुस्लिम हैं हम, हम से वतन
हम से वतन का बांकपन

(सानी हसनी)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फ़ोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक नज़र में

❐ तरक़्क़ी क्या है	सम्पादकीय	3
❐ कुर्आन की शिक्षा	मौलाना मंज़ूर नोमानी	5
❐ दमा और खांसी	दीहाती चिकित्सक	7
❐ प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	8
❐ सीरतुन्नबी	स० सुलैमान नदवी	10
❐ प्राचीन भारत की तस्वीर बाबर के कलम से	मौ०स० अबुल हसन अ़ली हसनी	13
❐ संक्षिप्त इस्लामी इतिहास	मौ० अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी	14
❐ क्या चिकित्सा हेतु मानव अंगों से लाभ...	मुनव्वर सुल्तान नदवी	16
❐ अक़ीदे की पुख़्तगी	बिलाल हसनी	20
❐ आपके प्रश्नों के उत्तर	इदारा	22
❐ सूद की लअ़नत	अ़ब्दुर्रशीद ख़ैरानी	24
❐ भाषाई एकता में उर्दू का रोल	विशम्भर नाथ पांडेय	27
❐ कहानी परी की	अबू मग़्फ़ूब	29
❐ ह़ज़रत अस्मा (रज़ि०)	तालिब हाशिमी	31
❐ प्रार्थना (पद्य)	इदारा	34
❐ हिन्दुस्तान में दीनी मदरसों का दौर	मौ० अ़ब्दुल करीम पारीख़	35
❐ इस्लाम कोई नया धर्म नहीं	डा० अ़ब्दुल लतीफ़ चतुर्वेदी	37
❐ इसे कश्ती नहीं मिलती.....	प्रो० मु० मुबश्शिर उस्मानी नदवी	38
❐ अन्तर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ० मुईद अशरफ़ नदवी	40

❐❐❐

(सम्पादक का लेखकों से सहमत होना आवश्यक नहीं है)

तरक़्क़ी (उन्नति) क्या है

डा० हारून रशीद सिद्दीक़ी

एक आदमी जिस हाल में हो उस से अच्छे में हो जाए इसको तरक़्क़ी (उन्नति) करना कहते हैं और हाल ख़राब होने को तनज़्ज़ुली (अवनति) कहते है। इन्सान तरक़्क़ी पसन्द करता है यह उसकी फ़ितरत है और तनज़्ज़ुली से ख़ुदा की पनाह चाहता है यह भी उसकी फ़ितरत है।

तरक़्क़ी की बेशुमार क़िसमें है लेकिन आ़म तौर से दौलत की तरक़्क़ी को तरक़्क़ी समझा जाता है वरना सिर्फ़ एक तालिबे इल्म (विद्यार्थी) की तरक़्क़ी कई तरह से कही जाती है। दर्जा पास करते जाना तरक्क़ी तो है मगर वाक़ई (वास्तविक) तरक़्क़ी नहीं है। वाक़ई तरक्क़ी यह है कि तालिबे इल्म एक एक मज़्मून (विषय) में आगे बढ़ता जाए ज़बानों में जैसे उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, अरबी जो ज़बानें पढ़े हर एक में आगे बढ़ता जाए यहां तक कि माहिर (निपुण) हो जाए। नस्र (गद्य) नज़्म (पद्य) ज़र्बुल अम्साल (कहावतों), मुहावरों, बोल चाल की बारीकियों से वाक़िफ़ (अवगत) हो। एक तालिबे इल्म हिसाब (अंकगणित) में अच्छा है, अलजबरा (बीजगणित) में कमज़ोर है, जामेट्री (रेखागणित) में कमज़ोर है वह दर्जा पास करने की तरक़्क़ी तो कर रहा है लेकिन अलजबरा नहीं समझ पा रहा है, उस्ताद कहता है कि अलजबरा में यह तरक्क़ी नहीं कर पा रहा है। तरक़्क़ी के बड़े मैदान हैं एक शख़्स कोई हुनर सीखता है उसमें अपनी मअ़लुमात (ज्ञान) बढ़ाता है यहां तक कि तरक़्क़ी करके अपने फ़न में माहिर (निपुण) हो जाता है। यह सहीह है कि उ़लूम व फ़ुनून के अक्सर माहिरीन अपनी इल्मी व फ़न्नी महारत (निपुणता) पर नाज़ गर्व करते हैं। उनको ज़ाती तौर पर दुन्यवी तरक़्क़ी की परवाह नहीं लेकिन एक फ़ार्सी क़ौल (कथन) के मुताबिक़ कि "हुनरे कमाल पैदा कुन, अ़ज़ीज़े जहां शवी।" किसी हुनर में कमाल (कुशलता) पैदा कर लें, दुन्या में अ़ज़ीज़ हो जाएंगे वह दुन्या में अ़ज़ीज़ भी हैं और उनकी दुन्यावी हालत अच्छी भी है। लेकिन बहुत से लोगों के नज़दीक शख़्सी तरक़्क़ी यह है कि आदमी की आमदनी(आय)बहुत हो, मकान शनदार हो, उसमें हर तरह की सुहूलतें हों बिजली हो, एयर कन्डीशन हो, फ़ून हो, मोबाइल्स हों, टीवी हो, इन्टरनेट हो, सोफ़ा सेट हों, मोटर गाड़ियां हों, बच्चे ऊंचे स्कूलों में पढ़ते हों वग़ैरह लेकिन सच यह है कि यह सुहूलतें तो जाइदाद (सम्पत्ति) वाले कुछ इल्म व हुनर से कोरे लोगों को भी हासिल हो जाती हैं और नम्बर दो के कारोबार वालों को भी मिल जाती हैं यह अलग बात है कि कुछ इल्म व हुनर वाले ऐसों को देख कर ललचाते हैं, लेकिन इल्म व हुनर से सच्चा लगाव रखने वाले ऐसी तरक़्क़ी को ख़ातिर में नहीं लाते।

शख़्सी तरक़्क़ी में बड़ा किरदार सरकारी नौकरियों का भी है और आ़म तौर से सरकारी नौकरी पाए हुए लोगों को तरक़्क़ी पर गामज़न समझा जाता है। आ़म लोगों में तो सरकारी चपरासी भी क़द्र की निगाहों से देखा जाता है। इसलिये कि १७ सालों के सख़्त मेहनत के बअ़द फ़ज़ीलत की सनद रखने वाला फ़ाज़िल किसी दीनी इदारे में काम करता है तो मुश्किल से दो तीन हज़ार पाता है जब कि सरकारी चपरासी चार, से स्टार्ट होता है। और सरकारी नौकरी में अगर आफ़ीसर पोस्ट है तो कहना ही क्या! अगर्चि यह आफ़ीसर मुआ़शरती मअ़लूमात में हमारे फ़ाज़िल के

मुक़ाबले में तिफ़्ले मक्तब है।

लोग तअ़ना देते हैं कि मुसलमान तअ़लीम में पिछड़ा हुआ है इसलिये (आफ़ीसर नौकरियों वाली) तरक़्क़ी नहीं करता, लेकिन जाइज़े से मअ़लूम हुआ कि पढ़े लिखे मुसलमानों को महरूम (वंचित) किया जाता है। जिसका जी चाहे ख़ुद सर्वे करे कि कितने क्वाली फ़ाइड मुसलमानों को कोई सरकारी नौकरी न मिल सकी, अगर किसी को नौकरी मिली तो किसी काम्याब पार्टी लीडर की मेहरबानी से, फिर उसको ज़िन्दगी भर उस लीडर का दुम्छल्ला बनना पड़ा, और इस का फ़ाइदा उसकी आल औलाद को मिलता रहा, ग्रेजवेट ने नाक रगड़ डाली नौकरी न मिली, ओवर एज हो गया, हाई स्कूल लड़की,लीडर की मेहरबानी से अध्यापका बन गई। अगर कोई मुसलमान किसी ऊंचे पद पर पहुँच गया वह भी अपने साथी आफ़ीसरों की मदद से अपनी औलाद को आफ़ीसरी या अच्छी नौकरी दिलाता रहा मगर दूसरे क्वाली फ़ाइड मुसलमान जूतियां, चटख़ाते रहें जबकि वह मुसलमान फ़ख़्रिया कहता रहा कि हमारे ख़ानदान में दारोग़ा से कम कोई होता ही नहीं। लिहाज़ा यह कहना ग़लत है कि मुसलमान तअ़लीम में पीछे है इस लिये तरक़्क़ी नहीं करते। इल्म हासिल करना तो मुसलमान के फ़राइज़ में से है। अगर सहीह तौर पर सर्वे किया जाए तो मुसलमानों में पढ़ों का फ़ीसद ग़ैरों से कहीं ज़ियादा है, हिन्दू भाइयों से भी ज़ियादा है। लेकिन तंज़ करने वालों की नज़र में वह इल्म, इल्म ही नहीं है।

मुसलमान हुनर सीखता है, अपने हुनर से मुल्क की ख़िदमत करता है, अपने हुनर से ऐसे माल तय्यार करता है कि उससे आ़लमी मन्डी से ज़रे मुबादला लिया जा सके तो उस पर इजारादारी ग़ैरों की हो जाती है वह तरक़्क़ी करते हैं यह दबा का दबा रहता है।

मुसलमानों में उतने इल्म व हुनर की कमी नहीं जितना शोर मचाकर उनके पिछड़े पन का सबब बताया जाता है, अस्ल में आ़म मुसलमानों पर एअ़तिरज़ करने वाले मदरसों के इल्म पर एअ़तिराज़ करते है, पहली बात तो यह कि मदरसों से फ़ारिग़ होने वाले उ़लमा की गिन्ती कालिजों से निकलने वाले मुस्लिम तलबा से कहीं कम है। फिर भी मुआ़शरती उ़लूम में हमारे उ़लमा कहीं फ़ाइक़ हैं। हमारे नदवतुल उ़लमा के आ़लिम को तो अंग्रेज़ी , पालीटिक्स इक़्तिसादियात (अर्थशास्त्र) भी पढ़ना पड़ता है। अस्ल में सरकारी नौकरियां हासिल करने, तिजारत में दरामद बरामद (IMPORT & EXPORT) का दर्जा हासिल करने में, अच्छे कारख़ाने लगाने में रुकावटें पैदा की जाती हैं। वह तो कहये कि वह ईमान की दौलत से मालामाल हैं। उनकी अक्सरीयत ज़रूरियाते ज़िन्दगी हासिल हो जाने पर क़ानिअ़ है। उसका ईमान है कि अल्लाह तआ़ला दौलते दुन्या अपने महबूब को भी देता है और नाफ़रमानों को भी देता है लेकिन दौलते आख़िरत सिर्फ़ अपने महबूबों, चहीतों को देता है। और आराम तो आख़िरत ही का आराम है जहां हमेशाा रहना है। इस ईमान से वह दुन्यावी तरक़्क़ी की दौड़ में पीछे रहकर भी मुतमइन हैं, सन्तुष्ट है, अगर वह ईमान न होता तो जो बरताव अहले वतन उसके साथ कर रहे हैं उससे मुतअसिर होकर यह या तो बे लगाम हो जाता या ख़ुद कुशी (आत्महत्या) कर लेता। सच्चर कमेटी कि रिर्पोट से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है।

इज्तिमाअ़ी (सामूहिक) तरक़्क़ी और मुल्की (देश की) तरक़्क़ी का इन्हिसार (निर्भरता) मुल्क की इन्तिज़ामिया (शासन) पर है हाकिमाने मुल्क (शासक गण) अगर इन्तिज़ामें हुकूमत का अच्छा इल्म रखते हुए मुल्की तरक्की में दिलचप्सी रखते होंगे तो वह अपने मुल्क के माहिरीने इल्म व फ़न की क़द्र करेंगे उन से अच्छे काम लेंगे, मुल्क की हर किस्मी पैदावारी सलाहीयत पर ध्यान देंगे, खेती, तिजारत, सनअ़त की तरक़्क़ी पर तवज्जुह देंगे। मुल्क की मअ़दन्यात (खानिज पदार्थ) को अच्छे ढंग से काम में, लाएंगे तो समाज तरक़्क़ी करेगा, मुल्क तरक़्क़ी करेगा।

क़ुरआन की शिक्षा

मौ० मंजूर नोमानी

तर्जमाः और तुम सब का खुदा एक ही खुदा है। उसके सिवा कोई इबादत और बन्दगी के लायक नहीं। वह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। (बकरः १६३)

और सूरत आलि इम्रान में एक जगह यह बयान फर्माने के बाद कि कियामत के दिन हर शख्स के अच्छे बुरे आमाल का अनजाम उसके सामने आने वाला है, और उस वक्त हर आदमी अपने अंजाम की जांच और अपने नतीजए–अअमाल से बहुत हिरासाँ (भयभीत) होगा। इर्शाद फर्मायाः–

तर्जमाः– और खुदा तुम्हें अपनी पकड़ से डराता है। और खुदा बन्दों के साथ निहायत मेहरबान है। (आले इम्रानः३०)

मानो कुरआने–मजीद ने इस मौके पर बतलाया कि अल्लाह–तआला का अपने बन्दों को आखिरत के मुआरवजे (पकड़) से और कियामत के दिन की पकड़ से डराना भी उसकी रहमत और मेहरबानी ही का तकाज़ा है, जिस तरह कि शफीक़ माँ–बाप अपनी औलाद को बुरे अन्जाम से डराते हैं और आने वाले खतरों से होशयार करते रहते हैं।

और बन्दों के साथ अल्लाह–तआला की इसी मेहरबानी और शफ़क़त की सिफ़त को सूरए–शूरा में एक जगह इन लफ़जों में फ़र्माया गयाः–

तर्जमाः– अल्लाह अपने बन्दों के साथ बहुत नर्म मुआमला करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है।

और सूरए–नहल में बन्दों पर अपने कुछ ऐसे इन्आ़मात और इहसानात का जिक्र फ़र्माने के बाद जिन से इस दुन्या में हर किस्म के लोग फाईदा उठा रहे हैं, इर्शाद फर्मायाः–

तर्जमाः– यकीन करो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है (और यह उसकी मेहरबानी और रहमत ही का करिश्मा(चमत्कार) है कि तुम को इस दुनया में यह आराम मिल रहे हैं।)

और सूरए–अनआम में एक जगह, यह बयान फर्माने के बाद कि बन्दे जो अच्छे बुरे अमल करते है अल्लाह उन से पूरी तरह बाखबर है– इर्शाद फर्मायाः–

तजर्माः– और तुम्हारा परवरदिगार सबसे बे नियाज है (उसे किसी की पर्वा नहीं और किसी से उसकी कुछ हाजत अटकी हुयी नहीं, हाँ) रहमत और मेहरबानी उसकी खास सिफत है (और इसी रहमत का सदका है कि तुम अपनी बदकारियों के बावजूद जिन्दा हो वरना उस में यह कुदरत है कि) अगर वह चाहे तो तुम्हें फना करके तुम्हारे बाद जिसे जी चाहे तुम्हारी जगह दुन्या में आबाद कर दे। (अनआमः १३४)

तर्जमाः– और तेरा रब बड़ा ही बखशने वाला और बड़ी रमहत वाला है। अगर वह उन के आमाल पर उनको पकड़ना चाहता है तो फौरन उनके लिये अजाब भेज देता है। बल्कि उनके वास्ते एक वक्त तै कर रखा है और वे उसके सिवा कोई जाए–पनाह (आश्रय) नहीं पा सकते। (कहफ़ः५८)

मतलब यह है कि इस दुन्या में जो यह देखा जाता है कि बहुत से शरारती और सरकश लोग अल्लाह की नाफर्मानियाँ करते है उसकी मुकर्रर की हुयी हदों (सीमा) को तोड़ते हैं, उस के अहकाम की खुली खिलाफवर्जी करते हें और इसके बावजूद जिंदा रहते है अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं आता न इन पर आस्मान से कोई बिजली गिरती है और न जमीन उन्हें निगलती है। कुरआने–मजीद कहता है कि यह अल्लाह की सिफ़ते रहमत और बखशिश ही का सदका है , अगर अल्लाह अपने बन्दों पर इतना मेहरबान न होता तो ऐसे बदकारों, नाफर्मानों पर फौरन अजाब आ जाया करता और उन्हें कोई मोहलत न दी जाती। लेकिन क्योंकि वह बन्दों के साथ मगफिरत और रहमत का मुआमला करना चाहता है, इसलिये उसने सब गुनाहगारों को इस दुन्या की पूरी जिंदगी में मोहलत देना तै कर दिया है ताकि जो भी इनमें से अपनी खताओं की मुआफी मांग कर और अपने रवैय्ये को दुरूस्त करके किसी वक्त अल्लाह को राजी करना चाहे तो कर सके और उसके

अजाब से बच सके। इसी वास्ते उसने मुआरवजा मुकर्रर किया है, और उस वक्त पर सब को वहां हाजिर होना होगा और किसी के लिये इसका कोई इमकान नहीं होगा कि वह कहीं छिप जाए और किसी जगह पनाह (आश्रय) ले सके– और इसी को सूरए–अनआम में यूँ फर्माया–

तर्जमाः– अल्लाह ने लाजिम कर ली है अपने पर रहमत और मेहरबानी (इसलिये वह मुजरिमों को यहां सजा नहीं देता, बल्कि उसने इस पूरी जिन्दगी की सबको मोहलत दे रखी है ताकि इन्सान चाहे तो मुआफी मांग के और अपने को दुरूस्त करके अजाब से बच सके)। उसने मुकर्रर किया है कि (इन्साफ और जज़ा के लिए) तुम सब को कियामत के दिन जोड़ेगा (और उसके दिन हर एक के किये का बदला मिल जाऐगा, यह बिल्कुल यकीनी और अटल बात है।) इसमें किसी शक की गुजाइश नही है।(अनआमः१२)

सुबहानल्लाह! इस आयत का पहला जुमला ''कतब अला नफ्सिहिर्रहम : (अल्लाह ने रहमत को अपने ऊपर लाजिम और मुकर्रर कर लिया है), हम बन्दों के लिए कितने इत्मीनान और कैसी उम्मीदों का सामान अपने अन्दर रखता है–ऐसे रह्मत वाले परवरदिगार से ना उम्मीदी अगर कुफ्र नहीं तो क्या है

और फिर इसी सूरए–अन्आम में चौथे रूकूअ के बाद रसूलल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुखातब करके इर्शाद फर्माया गया और कैसे प्यारे अन्दाज में फर्माया गया हैः–

तर्जमाः– और जब तुम्हारे पास हमारे वह बन्दे आये जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो ऐ पैगंबर! तुम (शफ़क़त और मुहब्बत से उनका इस्तिकबाल करो और) कहो तुम पर सलाम! (और उन्हें खुश खबरी सुनाओ कि) तुम्हारे पर्वर्दगार ने अपने ऊपर रहमत व मेहरबानी को लाजिम कर लिया है (इसलिये तुम्हें मुतमइन रहना चाहिये कि) तुम में से जिसने नादानी से कोई बुरा अमल किया, फिर उसके बाद उसने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली तो बेशक तुम्हारा रब बहुत बखशने वाला और बड़ा मेहरबान है। (अनआमः५४)

यकीनन बड़ा शक़ी और बदबख्त है वह इन्सान जो ऐसे रहमतवाले पर्वर्दगार की रहमत से भी महरूम (वंचित) रहे, जो पैगंबर, रहमते–आलम (सारी दुनिया के लिए रहमत) सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुबाने–मुबारक से अपने खताकार और गुनाहगार बन्दों को सलाम के बाद रहमत का यह पयाम दिलाता है किः ''अपने पर्वर्दगार से मायूस न हो, और न भागो, उसने तो रहमत को अपने जिम्में लिख लिया है, अगर नादानी से तुम से गुनाह हो गये है तो अब तौबा कर लो और अपनी हालत ठीक कर लो, मैं बड़ा बखशने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ।''

तर्जमाः– और वही है जिसकी शान यह है कि वह अपने (गुनाहगार) बन्दों की तौबा कबूल करता है और खताओं से दरगुजर करता है और तुम जो कुछ करते हो उस सब को पूरी तरह जानता है। (शूराः २५)

यह गलत है कि सफर का महीना मन्हूस होता है।

दमा और खांसी

दीहाती चिकित्सक

अल्सी १० ग्राम थोड़ा सा कूट कर २५० ग्राम पानी में उबालें जब आधा पानी रह जाए छान कर २० ग्राम अस्ली शहद मिला कर दो खुराक बनाएं और सुबह, शाम गर्म करके पियें। खांसी और दमा में बहुत फ़ायदा देगा। यह दवा बलग़म बाहर करती है।

आख (मदार) के पत्ते जो पीले पड़ गये हों २१, बांसा (अरूसा) के पत्ते २१, चूना दस ग्राम, नमक दस ग्राम बारीक पीस लें। आख का एक पत्ता मिट्टी के कूज़े में बिछायें उस पर एक ग्राम पिसा पाउडर डाल कर बांसे का एक पत्ता बिछाएं। इसी तरह तमाम पत्ते और दवा बिछा कर कूज़े का मुंह बन्द कर दें फिर चार सेर ओपलों में बन्द कर के फूंक दें। ठण्डा होने पर दवा निकाल लें और बारीक पीस कर रखें, आधा ग्राम अस्ली शहद में मिला कर रोज़ाना सवेरे नहार मुंह चाटें। बहुत फ़ाइदे मन्द है।

अरूसा के सात पत्ते थोड़े पानी में उबालें, फिर छान कर २० ग्राम अस्ली शहद मिला कर पियें खांसी दमा में फाइदे मन्द है। सुबह शाम पियें।

बांसा के फूल पांच तोले (५० ग्राम) खाण्ड १५० ग्राम हाथ से मल कर एक मरतबान में रखें यह बांसा के फूलों का गुलकन्द बन गया १०, १० ग्राम सुबह शाम खाएं, खांसी दमा में फाइदे मन्द है, सिल व दिक़ (फेफड़े

⟶

की टीबी) में भी फाइदा देता है।

तम्बाकू का गुल जो हुक्का पीने के पश्चात जल कर चिलम में रह जाता है जमा कर के जलाएं यहां तक कि सफ़ेद राख हो जाए यह राख चौथाई ग्राम पान में रख कर खाएं बलग़मी दमा और बलग़मी खांसी के लिये फाइदे मन्द है।

बांसा (अरूसा) या आख (मदार) या चरचट्टा, या थूहर का नमक बनाकर एक, एक रत्ती (एक ग्राम का आठवां हिस्सा) शहद में मिला कर दिन में तीन बार चाटें बलग़मी दमा और खांसी में फाइदे मन्द है।

नमक बनाने का तरीक़ा

जिस चीज़ का नमक हासिल करना हो उस को सुखा कर जलाएं और राख बना लें फिर उस राख को रात में पानी में घोलें सुबह के वक़्त निथार कर पकाएं यहां तक कि सारा पानी उड़ जाए। नमक बाक़ी रह जाएगा, उस को सुखा कर काम में लाएं।

हल्दी एक तोला (दस ग्राम) सज्जी तीन ग्राम, दोनों को पीस कर पानी में गून्धें और जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लें एक एक गोली सुबह व शाम खाएं बलग़मी खांसी के लिये फाइदे मन्द है।

हल्दी २० ग्राम पीस कर ६० ग्राम शहद में मिला कर छे, छे ग्राम दिन में चार बार चाटें, बलग़मी खांसी के लिये फाइदे मन्द है। इस के इस्तिअमाल (प्रयोग) से बलग़म निकल जाता है और सीना साफ हो जाता है।

अमिलतास का गूदा ५० ग्राम पानी में घोल कर छान लें उस के पश्चात २५० ग्राम चीनी मिला कर पकाएं यहां तक क़िवाम बन जाए, बस दवा तय्यार है छे छे ग्राम तीन चार बार चाटने से खांसी दूर हो जाती है अगर क़ब्ज़ हो तो वह भी नहीं रहता।

(पृष्ठ १२ का शेष)

इन पैग़म्बरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा जो अपने आगे की किताब तौरात की पुष्टि करता था और उस को इन्जील दी जिस में रहनुमाई और रौशनी है और जो अपने आगे की किताब तौरात की तस्दीक़ करती है और जो परहेज़गारों के लिये हिदायत व नसीहत है।" (सूरः माइदा रूकू–७)

यह फ़ौजदारी के सब से सख्त गुनाह के बारे में कानूनी व अखलाकी अहकाम थे। माली मामलात के बारे में भी इस्लाम इसी सार को सामने रखता है। फ़रमायाः–

तर्जमः "और अगर तुम सूद से बाज़ आ गये तो तुम्हारा वही हक़ है जो असल पूंजी तुम ने दी थी।" (सूरः बक़ः ३८)

यह तो कानून था, अब अखलाक देखियेः–

तर्जमः "और अगर कर्जदार तंगदस्त हो तो उसको उस समय तक मुहलत है जब तक उसको कुशायश (आर्थिक आसानी) हो, और बिल्कुल माफ कर देना तुम्हारे लिये ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम को समझ हो।" (बक़्रः ३८)

उसूली तौर पर फ़रमायाः–

तर्जमः "और अगर सज़ा दो तो इतनी ही जितनी तकलीफ तुम को दी गयी है और अगर सब्र कर लो तो यह सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतर है।" (सूरः नहल)

(पृष्ठ १३ का शेष)

बिन मुहम्मद शाह गुजराती ने जो महमूद बेगड़ा के नाम से मशहूर था, कई कारखाने काएम (स्थापित) किये थे जिनमें कपड़ा बुनाई, रंगाई, छपाई और डिजाइन तय्यार करने का काम होता था, संग तराशी (शिलाकारी) हाथी दांत रेशमी कपड़े और कागज साजी के कारखाने भी काएम किये गये, सुलतान महमूद गुजराती ने बड़ा सुथरा तअमीरी ज़ौक़ (निर्माण रूचि) पाया था, उसने मुल्क के कोने कोने में बेमिसाल सनअती जरअई, तिजारती सरगरमी (शिल्पकारी, कृषि, व्यापारी, उत्तेजना) पैदा करदी थी, हिन्दुस्तान के मशहूर इतिहास कार मौलाना सय्यद अब्दुल हई (रह०) अपनी महत्वपूर्ण किताब "नुजहतुल खवातिर" में लिखते हैः– "सुलतान महमूद गुजराती के बड़े कारनामों में मुल्क की तरक्की, मस्जिदों मदरसों और मुसाफिर खानों (यात्री गृह) की तअमीर (निर्माण) खेती बाड़ी की पैदावार में इजाफे से लेकर फलदार दरखतों और बागा की तअमीर (निर्माण) तक शामिल है, उसने लोगों को कामों के लिए उभारा और सिंचाई के लिए कुवें और नहरे बनवाई, इसीलिये कारीगर, राजगीर और शिल्प व कला के माहिर ईरान व तुरकिस्तान से उसके पास बड़ी संख्या में आए और अपनी सनअते (शिल्प कलाऐं) जारी कीं जिसके नतीजे में गुज़रात कुओं और चशमों की बदौलत एक हरा भरा शादाब चमन बन गया।

जहां लहलहाती खेतियां, घने बागात और लजीज मेवे पैदा होने लगे, इसके अलावा गुजरात एक तिजारती मन्डी भी बन गया जहां से उच्च कोट के कीमती कपड़े देश से बाहर भेजे जाते थे, यह सब कुछ सुलतान महमूद शाह की तवुज्जह और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए उसकी गहरी दिलचस्पी का नतीजा था।

प्यारे नबी की प्यारी बातें

अमतुल्लाह तस्नीम

जुल्म कियामत के दिन तारीका होगा

हजरत जाबिर (र०) से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लाल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जुल्म से डरो, जुल्म कियामत के दिन तारीकियाँ होंगी, और बुख्ल व हिर्स से बचो। बुख्ल व हिर्स ने अगली उम्मतों को हलाक किया। उसी ने उनको इस बात पर आमादः किया कि अपने खून बहाये और हराम को जाइज किया।

कियामत में हक वाले को हक दिलाया जायेगा

हजरत अबू हुरैरः (र०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, कियामत में हक वालों को हक दिलाये जायेंगे; हत्ता कि मुन्डी बकरी को सींग वाली बकरी से हक दिलाया जायेगा।

हजरत इब्नि उमर (र०) से रिवायत है कि हम लोग हिज्जतुल–वदाअ़ के मुतअल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे और हम नहीं जानते थे कि हज्जतुलविदाअ क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम तश्रीफ रखते थे। आपने अल्लाह की तारीफ की और उसकी सना बयान की। फिर मसीह दज्जाल का जिक्र किया और उसको तूल दिया। आपने फरमाया, अल्लाह ने जिस नबी को भेजा उसने अपनी उम्मत को डराया। नूह (अ०) ने और उनके बाद आने वाले नबियों ने डराया। आपने फरमाया दज्जाल निकलेगा। अगर उसकी कोई हालत मख्फी रहे तो यह बात तो तुम पर जाहिर ही हो जायेगी कि तुम्हारा रब काना नहीं है। और वह सीधी आंख का काना है। गोया उसकी आंख एक तैरता हुआ अंगूर है। और सुन लो अल्लाह ने तुम पर तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारे इस दिन की हुर्मत की तरह तुम पर हराम किये हैं। सुन लो, क्या मैनें पहुँचा दिया? लोगों ने कहा हाँ। फरमाया, ऐ अल्लाह! गवाह रह, तीन मर्तबा फरमाया और फरमाया, तुम्हारी खराबी हो या यह फरमाया कि तुम पर रहम करे। देखो मेरे बाद काफिर न हो जाना कि तुममें एक दूसरे की गर्दन मारे।

जमीन के गासिब को जमीन का तौक

हजरत आयशः (र०) से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, जिसने बालिश्त भर जमीन गसब की तो कियामत में उसको सात जमीनों का तौक पहनाया जायेगा।

अल्लाह की गिरिफ्त

हजरत अबू मूसा (र०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जालिमों को ढील देता रहता है। फिर जब उनको पकड़ता है तो नहीं छोड़ता। फिर आपने यह आयत पढ़ी।

तर्जमाः– इसी तरह तेरे रब की पकड़ है जब किसी बस्ती वालों को पकड़ा इस हाल में कि वह जालिम थे। बेशक उसकी पकड़ दर्दनाक और सख्त है।

मज्लूम की बद दुआ

हजरत मुआज (र०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे भेजा और फरमाया कि एक कौम तुम से मिलेगी जो अहले किताब है, तुम इनको इस्लाम की दावत देना। जब वह इस्लाल कुबूल कर लें और गवाही दें कि सिवा खुदा के कोई माबूद नहीं और मैं खुदा का रसूल हूँ तो उनको बताना कि तुम पर दिन और रात में पाँच वक्त की नमाजें फ़र्ज है। जब उसको भी मान लें तो कहना तुम पर सदकः फर्ज़ है। मालदारों से लिया जायेगा और गरीबों को दिया जायेगा। अगर वह इसकों मान लें तो तुम उनके अच्छे मालो से बचना, मज्लूम की बद्दुआ से बचना कि उसके और अल्लाह के दर्मियान कोई परदः नहीं।

गासिब की सजा

हजरत अब्दुर्रहमान (र०) बिन सअद कहते हे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक शख्स को सदकः पर आमिल बनाया। लोग उसको इब्नुललित्बिय्यः कहते थे। वह आया और कहा यह सदकः का माल है। और यह हद्यः है जो मुझे दिया गया है। आप मिम्बर पर खड़े हो गये। अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, मैंने एक शख्स को ऐसे काम पर आमिल बनाया जिसकों अल्लाह ने मेरे सिपुर्द किया था। वह आया और कहा यह तुम्हारा है और यह हदयः है जो मुझे दिया गया है। अगर वह अपने घर में

बैठा होता और उसके बाद ह्दयः आता तो मैं उसको सच्चा समझता। खुदा की कसम तुम में से कोई अगर किसी चीज को उसके हक से सिवा लेगा तो कियामत में अल्लाह ताला से इस हालत पर मिलेगा कि वह चीज उस पर लदी होगी। और मैं किसी को इस हाल पर न देखूँ कि अल्लाह ताला से मिले एक ऊँट चीखता हुआ लादे हुए हो या एक गाय चीखती हुई, एक बकरी चीखती हुई। फिर आपने अपने हाथ बुलन्द किये, यहां तक कि आपकी बगलों की सफेदी दिखाई देने लगी। फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रह मैंने पहुँचा दिया।

माल के बदले में नेकी

हजरत अबू हुरैरः (र०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई का माल गसब किया (भाई से मुराद मुसलमान है) उसकी जमीन हो या कोई चीज, तो आज के दिन उसको मुआफ करा ले। अगर उसके अच्छे अमल हुए तो जितना माल उसने गसब किया उतनी नेकियाँ लेकर मज्लूम को दी जायेगी अगर नेकियाँ नहीं है तो माल वाले की बुराईया गासिब पर लाद दी जायेंगी।

मुसलमान की तारीफ

हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र (र०) बिन अलआस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया, मुसलमान वह है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। और मुहाजिर वह है कि वह काम छोड़ दे जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है।

चोरी का माल

हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र (र०) बिन अलआस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामान पर एक आदमी मामूर था। लोग उसको करकरह कहते थे। वह मर गया तो रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया, वह दोज़ख में है। लोग उसको देखने गये तो एक अबा पाई जिसको उसने चुराया था।

(पृष्ठ २२ का शेष)

अर्थात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अल्लाह तआला ने इतना बुलन्द मर्तबा बनाया है कि आप की तअ्रीफ़ (प्रशन्सा) का हक़ अदा नहीं किया जा सकता बस यही कहा जा सकता है कि अल्लाह के बअ्द आप ही का मर्तबा है तभी तो किसी ने कहा है:–

लगा जिस ज़मी से है जिस्मे मुतहहर
वो अ़र्शे बरीं से है रूत्बे में आ़ली
कि अ़र्शे बरी भी तो मख़्लूके रब है
है मख़्लूके अशरफ़ मदीने का वाली।

वाज़िह (स्पष्ट) रहे कि सच्चा राही में प्रश्नों के उत्तर की हैसियत फत्वे की नहीं एक बात का सहीह रूख़ बताने की होती है लेकिन इस मसअले पर दारूल उलमूम नदवतुउलमा के दारूल इफ़्ता से २२.११.१४२७ हि० को तफ़सीली जवाब दिया गया है जिसकी अहम बाते नक़्ल करता हूँ।

जम्हूर फुक़हाए उम्मत की राए यही है कि रौज़–ए–अक़्दस (मदफ़ने रसूल) खान–ए–कअ़्बा, यहां तक कि अ़र्श व कुर्सी से भी अफ़ज़ल है और जब मदफ़ने रसूल का ख़ान–ए–कअ़्बा, अ़र्श व कुर्सी से अफ़ज़ल होना साबित हो गया तो ख़ुद ज़ाते रसूले अकरम (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का ख़ान–ए–कअ़्बा से अफ़्ज़ा व अअ़ला होना बदर्ज–ए–औला व अतम्म मअ़लूम होता है।

सूर–ए–माइदा की आयत ३५ की शरह करते हुए हुज़ूर (स०) की क़ब्रे शरीफ़ के बारे में लिखा है "अन्नहू अफ़ज़ल मिनल अ़र्श "(वह अ़र्श से अफ़ज़ल है) अ़ल्लामा शामी ने क़ाज़ी अ़याज़ के हवाले से इस पर इजमाअ़ नक़्ल किया है कि आप (स०) का मदफन इस ज़मीन के हर चप्पे से अफ़ज़ल है लेकिन अ़ल्लामा क़स्तलानी ने अ़र्श से अ़फ़ज़ल होने पर इज्माअ़ नक़्ल किया है। कोयत के औक़ाफ़ कें मंत्रालय से निकलने वाली मैगजीन "अलमौसुअः अलफ़िक्हीयः" में लिखा गया है कि वह जगह जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का जिस्में अतहर टच है उलमा ने कहा है कि वह ज़मीन के हर चप्पे से अफ़ज़ल है यहां तक कि मस्जिदे हराम, कअ़्बा, सारे आसमानों बल्कि अ़र्श, कुर्सी से भी अफ़ज़ल है अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की क़ब्रे शरीफ़ को छोड़ कर बाकी मदीने से कअ़्बा अफ़ज़ल है।

प्रश्नः जनाज़े को कब्रिस्तान ले जाते वक़्त उस पर चादर डालना कैसा है ?

उत्तर : जनाज़ा अगर औरत का है तो उस पर तो चादर डालना ज़रूरी है और क़ब्र में उतारते वक़्त भी चादर से पर्दा ज़रूरी है। मर्द का जनाज़ा ढक कर लेजाना ज़रूरी नहीं और ढकने में कोई हरज नहीं।

नवीं किस्त

सीरतुन्नबी

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अख़लाक़

सय्यिद सुलैमान नदवी

आंहज़रत सल्ल० के अभ्युदय से पहले यहूदियत और नसरानियत का दौर गुज़र चुका था और दुनिया एक ऐसे मज़हब का इन्तेज़ार कर रही थी जो इन दोनों का सार (निचोड़) हो। इस्लाम दुनिया की इसी जरूरत पूरा करने केलिए आया, और नबूवत के सिलसिले की इन दोनों बिखरी हुई कड़ियों को आपस में मिला दिया।

इन्साफ एक ऐसी चीज़ है जिसने दुनिया के निज़ाम को क़ाइम रखा है। और एहसान व भाईचारा व प्रेम की आमेज़िश ने इस को भी खुशनुमा बना दिया है। लेकिन इस्लाम से पहले मज़हबी सियासत के यह दोनों हिस्से बिल्कुल अलग अलग थे जिसका लाज़िमी नतीजा यह था कि अब तक दुनिया की व्यवस्था अपूर्ण थी।

हज़रत मूसा अ० की शरीअत साक्षात इन्साफ़ व अदल है। इस में एहसान व दरगुज़र की अख़लाक़ी कशिश बहुत कम रखी गयी है। इसी तरह हज़रत ईसा अ० साक्षात रहमत का पयाम बनकर आये। उनकी शरीअ़त में अदल व इन्साफ के क़ाइम करने की रूह बहुत कम पायी जाती है। हज़रत मूसा अ० की शरीअ़त ने दुनिया केलिए अदल व इन्साफ़ के जो उसूल क़ाइम कर दिये थे उसके मुक़ाबिल में हज़रत ईसा अ० ने अपनी अख़लाक़ी तालीम का एलान इन शब्दों में फ़रमाया:–

"तुमने यह सुना होगा कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि बुराई का बुराई के साथ मुक़ाबला न करो बल्कि जो व्यक्ति तुम्हारे दाहिने गाल पर तमांचा मारे उसके सामने दूसरा गाल भी हाज़िर कर दो। जो व्यक्ति लड़ने झगड़ने में तुम्हारे कपड़े पकड ले उसको चादर भी दे दो। जो व्यक्ति तुमको एक मील तक बेगारी पकड़ ले जाये उसके साथ दो मील तक चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसको दो। जो तुमसे क़र्ज़ लेना चाहे उसको वापस न करो।

तुमने यह कहते हुए सुना होगा कि अपने प्रिय लोगों से प्रेम और अपने दुश्मनों से द्वेष रखो। लेकिन मैं तुम से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो।" (मती अध्याय ५)

हज़रत ईसा अ० से पहले दुनिया से जो कुछ कहा या सुना गया था वह हज़रत मूसा अ० का क़ानून था जो बिल्कुल अदल व इन्साफ़ पर आधारित था लेकिन अब जो कुछ दुनिया हज़रत ईसा अ० की ज़ुबान से सुन रही थी वह सरासर एहसान, रहमत और अख़लाक़ था। लेकिन इस्लाम ने अदल व एहसान दोनों में संतुलन पैदा करके दनिया की शासन व्यवस्था को परिपूर्ण कर दिया।

तर्जमः 'बे शुबह ख़ुदा अदल व एहसान (दोनों का) हुक्म देता है।' (सूरः नहल रूकू–१३)

यह एक उसूली तालीम थी जिसने मूसा अ० और ईसा अ० की शरीअ़तों की दो अलग अलग विशेषताओं को एक जगह जमा कर दिया है।

अदल व एहसान

अदल व एहसान के सही भावार्थ को समझने के लिए थोड़े विस्तार की ज़रूरत है। क़ानून की बुनियाद वास्तव में 'अदल' (न्याय) पर है। अदल का अर्थ 'बराबर' है। जो व्यक्ति किसी के साथ बुराई करे उस के साथ उतनी ही बुराई की जाये। यह अदल है और उसको छोड़ देना माफ़ कर देना और दरगुज़र करना यह 'एहसान' है। इस्लाम में इन दोनों के अलग अलग दरजे हैं। अदल के क़ानून को जमाअ़त और सल्तनत के हाथ में उसने दिया है। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है और एहसान हर व्यक्ति के हाथ में है और यह व्यक्तिगत मामला है। अदल के क़ानून ही पर जमाअत (समुदाय) और हुकूमत का निज़ाम क़ाइम है। अगर इसको मिटा दिया ज़ाये तो जमाअत और हुकूमत तितर बितर हो जाय और किसी की जान व माल व आबरू सलामत न रहे। इस लिये हुकूमत को सिरे से मिटाना जैसा कि पाल ने ईसाइयत को इस रंग में पेश करके हमेशा केलिये तौरात के अदल के क़ानून का ख़ात्मा कर दिया, कभी दुनिया के लिये व्यावहारिक नहीं रहा। स्वयं ईसाई सल्तनतों का पूरा

इतिहास इस पर गवाह है कि किसी अदल के कानून के बिना सिर्फ अख़लाक़ के भरोसे पर ज़मीन के एक चप्पा पर भी अमन व अमान क़ाइम नहीं रह सका और न बुराइयों की रोक थाम हो सकी।

एक और बिन्दु यह है कि एक व्यक्ति जब जमाअत के किसी व्यक्ति का कोई गुनाह करता है तो वह गुनाह वास्तव में उस व्यक्ति का नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय की व्यवस्था की होता है। अब अगर पहली ही दफ़ा उस• पर अंकुश न लगाया जाये तो बहुत मुमकिन है कि वह साहस पाकर वही गुनाह समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति के साथ करे। इस लिये किसी मज़लूम को अपने ज़ालिम के माफ कर देने का पूरा पूरा हक़ नहीं है क्योंकि वह इस तरह एक व्यक्ति के साथ नेकी करके समुदाय के हज़ारों लाखों लोगों के साथ मानो बुराई कर रहा है। इस लिये अख़लाक़ को अदल के कानून की जगह देने में बहुत सोच विचार और एहतियात की जरूरत है जो शरीअते मुहम्मदी में पूरी तरह बरती गई क्योंकि यह दुनिया की स्थायी शरीअत बनने वाली थी।

फिर सब लोग दुनिया में एक तबीयत और फितरत के पैदा नहीं हुए। बाज़ नेक, नर्म मिज़ाज, साबिर और सहनशील पैदा हुए हैं जिन के लिये माफ कर देना, दरगुज़र कर देना और बदला न लेना आसान है। और बाज़ गुस्सावर, सख़्त मिजाज पैदा हुए हैं जो बदला और बदला से ज्यादा लिये बिना चैन नहीं ले सकते। इन के लिये इतनी ही इस्लाह (सुधार) बहुत है के बदला लेने से ज्यादा करने से इन को रोक दिया जाये और 'बुराई के बराबर बुराई करने के उसूल पर अमल करने के लिये उनको रज़ामंद कर लिया जाये। इस लिये एक विश्वव्यापी शरीअत के लिये जो तमाम दुनिया के सुधार के लिये आई हो अदल व एहसान दोनों उसूलों के निचोड़ की ज़रूरत थी।

क़ानून और अख़लाक़

ऊपर जो कुछ कहा गया इस का मतलब दूसरे शब्दों में यह है कि दुनिया में अमन व अमान (शांति–व्यवस्था) और न्याय व इन्साफ़ की स्थापना और फितना व फसाद और बुराइयों के खातमा के लिये दो चीज़ें हैं। कानून और अख़लाक़। और यद्यपि इन दोनों की मंशा एक ही है। मगर इन के लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं और तनहा (अकेले) इन में से हर एक में कुछ न कुछ कमी है जिस की पूर्ति दूसरे से होती है। कानून बुराइयों को तो रोक देता है मगर दिल में इस बुराई की तरफ़ से कराहत की कोई आन्तरिक भावना पैदा नहीं करता जो मानवता की जान है और अख़लाक़ पर अमन करने के लिये हर व्यक्ति को ताक़त से मजबूर नहीं किया जा सकता। इस लिये इस के ज़रिये अदल व इन्साफ का क़ियाम और बुराइयों की रोकथाम पूरी तरह नहीं हो सकती। तौरात महज़ कानून है और इन्जील महज़ अख़लाक़। इसी लिये यह दोनों अलग अलग अमन व अमान और अदल व इन्साफ के क़ियाम और फ़ितना व फ़साद और बुराइयों के खात्मा केलिये पूरी तरह काफ़ी नहीं। आंहज़रत सल्ल० एक ऐसी परिपूर्ण और कामिल शरीअ़त लेकर आये जो अदल व एहसान और कानून व अख़लाक़ दोनों की जामे है।

इस निचोड़ का उसूल शरीअते मुहम्मदी में दो हैसियतों से पाया जाता है। एक तो यह कि उसने न तो यहूदियत की तरह अख़लाक़ को भी कानून की शक्ल दे दी और न ईसाइयत की तरह कानून को मज़हब के हर हिस्से से ख़ारिज करके कानून को भी अख़लाक (व्यवहार) बना दिया। बल्कि इसने कानून और अख़लाक़ दोनों के बीच सीमारेखा क़ाइम करके हर एक की सीमा निर्धारित कर दी और अपनी शरीअ़त की किताब में क़ानून को क़ानून की जगह और अख़लाक़ को अख़लाक़ की जगह रखकर इन्सानियत को तकमील (परिपूर्णता) तक पहुंचा दिया।

इस्लाम ने उन बुराइयों के रोकथाम को जिन का असर सीधे दूसरों तस पहुंचता है, कानून के तहत में रखा। मसलन क़त्ल, चोरी, रहज़नी, तुहमत लगाना। अतएव इन अपराधों के लिये क़ुरआन ने सज़ा मुक़र्रर की है जो इस्लामी हुकूमत की तरफ़ से दी जा सकती है। और जो बातें एक इन्सान की ज़ाती तकमीले नफ़स (व्यक्तिगत स्वार्थ) के मुतअल्लिक़ थीं, उन को अख़लाक़ के दायरे में रखा। मसलन झूठ न बोलना, रहम खाना, ग़रीबों की इमदाद आदि। इस तरह शरीअते मुहम्मदी सल्ल० इस हैसियत से क़ानून और अख़लाक़ दोनों का योग है।

इस्लाम एक और हैसियत से भी कानून और आचरण का योग है। कानून इसने हर मज़लूम (उत्पीड़ित) और हक़दार को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे तो तौरात के हुक्म के मुताबिक़ उस का बदला ले, लेकिन उस से उच्चतर बात यह रखी है कि वह इन्जील के मुताबिक़ उस ज़ालिम

को क्षमा करदे बल्कि बुराई के बजाय उस के साथ भलाई और नेकी करे। इस मिश्रित शिक्षा ने हुकूमत के कानूने इन्तेज़ाम व अदल और व्यक्ति के नैतिक आध्यात्म की परिपूर्णता दोनों को अपनी अपनी जगह क़ाइम रखा है और इस लिये वह मानव–पीढ़ी की रक्षा, विकास और फलने फूलने की पूरी तरह क्षमता रखती है। वह अदल व इन्साफ़ के ताक़त से काइम रखने की भी क्षमता रखती है। और व्यक्तिगत आचरण के द्वारा लोगों की आध्यात्मिक (रूहानी) परिपूर्णता में भी किसी प्रकार अवरोधक नहीं। वह न यहूदियों की शरीअत की तरह सिर्फ मुर्दा जिस्म है और न ईसाइयों की शिक्षा की तरह ग़ैर महसूस (अनुभूतिहीन) आत्मा है बल्कि वह जिस्म व जान (शरीर व आत्मा) का योग और जीवित व महसूस पैकर (रूप) है।

क्षमा और बदला

मूसवी अ०, ईसवी अ० और मुहम्मदी सल्ल० नैतिक शिक्षा में आपस में जो बारीक अन्तर है वह इसी क़ानून और आचरण के अलग होने और तरकीब का नतीजा है। इस्लामी क़ानून को सामने रख कर विरोधियों ने अक्सर कहा है कि पैग़म्बरे इस्लाम की तालीम में अख़लाक़ी रूह नहीं। लेकिन अगर वह क़ानूने मुहम्मदी सल्ल० के साथ साथ अख़लाक़े मुहम्मदी सल्ल० को भी सामने रखते तो उन को यह शुबह पेश न आता। मालूम हो चुका कि तौरात का उसूल न्यायिक बदले पर आधारित है। उस का हुक्म है:–

'और जो इन्सान को मार डालेगा सो मार डाला जायेगा—— और अगर कोई अपने पड़ोसी को चोट लगाये, सो जैसा करेगा वैसा पायेगा। तोड़ने के बदले तोड़ना, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत।' (अहबार १७–२४ ख़ुरूज १२–२१ गिनती ३१–३५)

इन्जील की शिक्षा सरासर क्षमा है। उस की नसीहत है:–

'तुम सुन चुके कहा गया, आंख के बदले आख और दांत के बदले दांत, पर मैं तुम्हें कहता हूं कि ज़ालिम का मुकाबला न करना, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी उस की तरफ फेर दे।' (मती ३८–५)

लेकिन क्या इस साक्षात आध्यात्मिक आचरण पर एक दिन भी दुनिया की व्यवस्था क़ाइम रह सकती है? और कभी किसी ईसाई क़ौम और ईसाई मुल्क इस रहीमाना नसीहत पर अमल कर सका? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० ने जो तालीम पेश की वह क्षमा और न्यायिक बदला अर्थात अखलाक और कानून दोनों का योग है। अदल कानून है और एहसान अखलाक है। इस्लाम के तमाम अहकाम में यह दोनों उसूल जारी हैं। ऊपर जिस मसअले के बारे में तौरात और इन्जील के अहकाम नक़्ल किये गये हैं उस की निस्बत आंहज़रत सल्ल० के ज़रिये यह तालीम हम को मिली है:–

तर्जमः "ऐ ईमान वालो! तुम पर मक़तूलों में बराबरी के बदले का हुक्म हुआ। आक़ा के बदले आक़ा, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत" (सूरः बक़रः २२)

यह तो मूआवज़ः का आदिलाना कानून था, इस के बाद ही अखलाक का हुक्म है:–

तर्जमः "तो अगर उसके भाई की तरफ से कुछ माफ कर दिया गया तो दस्तूर के मुताबिक़ इस की पैरवी करना और नेकी के साथ उसको अदा करना है। यह तुम्हारे रब की तरफ से आसानी और मेहरबानी हुई तो जो कोई (मक़तूल के रिश्ते दारों में से) इस (माफी या खून बहा लेने) के बाद फिर ज़्यादती करे तो उस के लिये दुख की सज़ा है।" (सूरः बक़रः २२)

इन आयतों के सार पर ध्यान दीजिये कि क़ातिल और मक़तूल के रिश्तेदारों के बीच खुली दुश्मनी के बाद उन की दया की भावना को सक्रिय करने के उद्देश्य से क़ातिल को मकतूल के रिश्तेदारों का भाई कहकर बताया गया साथ ही चूंकि तौरात के हुक्म में खून बहा लेकर माफी की दफा न थी इस लिये इस क्षमा को आसानी और रहमत बताया गया और क़ातिल को नेकी और एहसान की याद दिलाई गयी और मकतूल के रिश्तेदारों को माफ कर देने या खून बहा ले लेने के बाद बदला लेने पर इलाही अज़ाब का डर सुनाया गया। देखो कि इस्लाम का हुक्म तौरात और इन्जील, क़ानून और अखलाक, बदला और क्षमा दोनों को किस खूबी के साथ एकजा करता है। कुरआन कहता है:–

तर्जमः "और हमने बनी इस्राइल पर तौरात में यह हुक्म लिखा कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दान्त और ज़ख्मों में बराबर का बदला, तो जिसने बख्श दिया तो वह उसके लिये कफ़्फ़ारः (प्रायश्चित) है। और जिसने खुदा के उतारे हुए हुक्म के मुताबिक़ फैसला नहीं किया तो वही ज़ालिम हैं। और हमने बनी इस्राइल के

(शेष पृष्ठ ७ पर)

प्राचीन भारत की तस्वीर
बाबर के क़लम से

मौ० सै० अबुल हसन अली हसनी

मुसलमानों ने इस देश की सभ्यता और संस्कृति में जो कीमती इजाफा किया है उसकी अहमियत (महत्व) को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम हिन्दुस्तान के उस दौर का जाइज़ा लें, जब मुसलमान यहां नहीं आए थे और नए इस्लामी हिन्द की तअ़मीर (निर्माण) नहीं हुई थी, मुगल सल्तनत के फाउन्डर जहीरूद्दीन बाबर ने मुसलमानों के आने से पहले इस मुल्क की जिन्दगी का नकशा बहुत ही वाज़ेह तौर पर (स्पष्ट रूप) से खींचा है जिसे देखकर अन्दाज़ा होगा कि मुसलमानों ने इस सरज़मीन को अपने तअमीरी जौक (निर्माण रूचि) और माहिराना सलाहियतों (कुशल दक्षता) की बदौलत कहां से कहां पहुंचा दिया, मअलूम रहे कि मुगलों की आमद से बहुत पहले हिन्दुस्तान में मुसलमानों की हुकोमतें क़ाएम (स्थापित) हो चुकी थी और उन्होंने तअमीर व तरक्की (निर्माण और उन्नति) की कोशिश शुरू कर दी थी बाबर अपनी "तूजक" में लिखता है : "हिन्दुस्तान में अच्छे घोड़े नहीं, अच्छा गोश्त नहीं, अंगूर नहीं, खरबूज़ह नहीं, शमअ़दान नहीं, शमअ के बजाए डीवट होता है यह तीन पाए का होता है, एक पाए में चरागदान के मुंह के शक्ल का एक लोहा, लकड़ी में जोड़कर लगा देते हैं, एक तोंबी होती है, जिसका सूराख तंग होता है उसी के रास्ते से तेल की पतली धार गिरती है। राजों और महाराजों को रात के वक्त रोशनी का कुछ काम पड़ता है तो नौकर यही मैली डीवट लेकर उनके पास खड़े होते हैं,

बागों और इमारतों में आबे रवां (बहता पानी) नहीं, इमारतों में न सफाई है न मौजूनी (सन्तुलन) न हवा, आम आदमी नंगे पांव एक लंगोटी लगाए फिरते हैं, औरते धोती बांधती है जिसका आधा हिस्सा कमर से लपेट लेती है और आधा सर पर डाल लेती है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू हिन्दुस्तान की इस तसवीर पर जो बाबर की तूजक पेश करती है तबसरह (टिप्पणी) करते हुवे लिखते हैं:

बाबर की लिखी हुई तारीख से हमें उस तहजीबी इफ़लास (सभ्यता की कमी) का पता चलता है जो उत्तरी भारत पर छाया हुआ था, उसकी वहज कुछ तो वह बरबादी थी जो तैमूर के हमले की वहज से हूई और कुछ यह बात थी कि बहुत से विद्वान आरटेस्ट, कारीगर उत्तरी भारत छोड़ कर दक्षिण की ओर चले गये थे, इस गिरावट की एक वजह यह भी थी कि हिन्दुस्तानियों की तख़लीक़ी (रचनात्मक कुशलता) के सोते सूख गये थे, बाबर कहता है कि इस मुल्क में होशियार कारीगरों और सन्नाओं (शिल्पकारों) की कमी नहीं है, लेकिन यहां के मीकानिकी आविष्यकारों में जिहानत (दक्षता) और होशयारी बिल्कुल नहीं" **(Discovery fo India)**

मेवा जात की तरक़्क़ी

सर सब्ज़ी व शादाबी के बावजूद इस मुल्क में मेवा जात और फल बहुत कम तअ़दाद में और कम हैसियत में होते थे और जो कुछ पैदा होते थे वह आम तौर पर खुदरो (अपने आप उगने वाले पेड़) थे, जिनकी तरफ देशवासी पूरा ध्यान नहीं देते थे लेकिन जब मुगल जिनका ज़ौक़ (अभिरूचि) बहुत बलन्द था और (जिनके वतन में फल और मेवे बहुत पैदा होते थे) इस मुल्क में दाखिल हुवे तो उन्होंने फलों और मेवा जात को बड़ी तरक्की दी।. जिनकी तफसील "तूजक बाबरी" और "तूजक जहांगीरी" से मअलूम की जा सकती है, मुगलों ने हिन्दुस्तानी फलों की तरफ खास तवज्जुह (विशेष ध्यान) की, और मुखतलिफ किस्मों के फलों को एक दूसरे के साथ कलम करके तरह तरह की अनूखी और लजीज किस्में दरयाफ्त की, आम हिन्दुस्तान का मशहूर और लज़ीज़ तरीन फल है, मुगलों के आने से पहले इसकी सिर्फ एक क़िस्म तुख़मी थी, लेकिन उन्होंने क़ई तरह के आपसी मेल से कलमी आम दरयाफ्त किये जो निहायत लजीज़ और खुशरंग होते है, इसके नतीजे में कलमी आम की इतनी किस्मे पैदा होने लगी जिनकी गिनती मुश्किल है।

कला, शिल्प व्यापार और खेती बाड़ी की तरक्की:-

यही हाल कपड़े की सनअत (कला) का था, हिन्दुस्तानियों का लिबास आम तौर से गजी गाढ़ा और मअमूली किस्म के मोटे सूत का कच्चे ऊन का होता था। सुलतान महमूद

(शेष पृष्ठ ७ पर)

चौदहवीं किस्त

संक्षिप्त इस्लामी इतिहास

अब्दुस्सलाम किदवाई नदवी

सुलतान अहमद तृतीय

मुसतफा द्वितीय के बाद उस का भाई अहमद तख़्त पर बैठा। शैखुल इस्लाम फैजुल्लाह आफ़न्दी को जिन की वहज से सारा झगड़ा हुआ, इन कशारी फौज ने क़त्ल कर डाला सुल्तान ने अपने दामाद हसन पाशा को वजीर आजम (प्रधान मंत्री) बनाया जिसने फिर से अमनो अमान काइम किया।

रूस से जंग हुई जिस में शाह रूस पीटर और उसकी मलका कैथरीन दोनों किले में घिर गये लेकिन सेना पति मुहम्मद पाशा नें रिश्वत लेकर मामूली सा प्रतिज्ञा पत्र लिख कर छोड़ दिया। सुल्तान ने उसे इस बेइमानी पर अलग कर दिया और उसकी जगह युसुफ़ पाशा को मुक़र्रर किया। उस ने रूस से तय किया कि सात वर्ष तक कोई लड़ाई न होगी लेकिन चन्द ही महीने बाद उसने लड़ाई शुरू कर दी। मगर चूंकि हालैण्ड और इंगलिस्तान को उस में अपनी हानि का डर था। इसलिए उन्होंने बीच में पड़ कर सुलह करा दी। सन् ११२७ हि. में मान्टीनिगरू ने बगावत की अली पाशा ने प्राजित किया। लेकिन फिर आस्ट्रीया के सेनापति अजीन क्यूजा से प्राजय हुई और बलगराद और सरबिया का एक बड़ा भाग तर्कों के हाथ से निकल गया।

ईरान में मीराशर्फ ने शाह तहमासप को निकाल दिया। इस गड़बड़ के मौके पर तुर्कों ने आरमीनिया और गिरजिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। शाह तहमासप नादिर शाह की सहायत से फिर बादशाह हो गया। अब उसने अपने इलाके तुर्कों से वापस मांगे लेकिन सुलतान और वजीर दोनों रंगरलिया मना रहे थे, उधर कौन ध्यान देता। आखिर तहमासप ने आगे बढ़ कर तबरेज पर कब्जा कर लिया और तुर्की फौजों को मार कर निकाल दिया। फौजी सरदारों ने क्रोध में आकर सदरे आज़म (प्रधानमंत्री) इब्राहिम पाशा को क़त्ल कर डाला और ११४३ हि. में सुलतान को तख़्त से उतार कर उसके भतीजे महमूद को बादशाह बना दिया।

सुलतान महमूद-प्रथम

सन् ११४३ हि० में तख्त पर बैठा, यह बड़ा इल्म दोस्त और मुंतजिम था। कई पुस्तकालय काइम किये। उसी ज़माने में इरान में नादिर शाह अफशार बादशाह था। उसने बार बार तुर्की पर हमले किये। पहला हमला ११४६ हि० में हुआ जिस में सुलह हो गई और तय पाया कि सुलतान मुराद के ज़माने में दोनो हुकूमतों की जो सीमाएं थी वहीं अब भी क़ाइम रखी जाए लेकिन ११५६ हि० में दूसरा हमला हुआ। उस में तुर्कों की विजय हुई लेकिन ठीक उसी समय उनका सरदार एकन पाशा का देहान्त हो गया। इसलिए प्राजय हुई। उस जमाने में रूसियों को मौका मिल गया और उन्होंने आस्ट्रीया को अपने साथ मिला कर तुर्कों पर हमला कर दिया लेकिन प्राजय हुई और उस शर्त पर सुलह की कि आस्ट्रीया, बलगराद और रूस अजाक तुर्कों को दे दिया जाए और भविष्य में श्वेत सागर में कोई समुद्री जंगी जहाज न रखे। सन् ११६८ हि० में एक दिन सुलतान महमूद जुमा की नमाज़ पढ़ कर वापस आ रहे थे कि रास्ते में घोड़े ही पर देहान्त हो गया।

सुलतान उसमान तृतीय

उसमान भी सुलतान मुसतफा द्वितीय का बेटा था। भाई के देहान्त के बाद तख़्त पर बैठा और तीन वर्ष के बाद ११७२ हि० में उसका भी देहान्त हो गया। उसके शासन काल में कोई खास बात नहीं हुई।

सुलतान मुसतफा तृतीय

सुलतान उसमान के बाद सुलतान अहमद तृतीय का बेटा सुलतान मुसतफा तृतीय के नाम से बादशाह हुआ। उसके ज़मान में रूस ने फिर जोर बान्धा और आस्ट्रीया परशिया को लेकर लड़ाई शुरू की। उसके साथ ही अपनी तर्कीब से इधर उधर बगावत भी शुरू करा दी। मिस्र के गवरनर अलीबक पर उस का भारी प्रभाव पड़ा। उस ने दमिश्क और बैतुलमुकद्दस आदि फतह करके इरादा किया कि आनतुलिया पर हमला करे कि इतने में मिस्रा का एक आदमी अमीर मुहम्मद बक अबू जहब खड़ा हो गया और अलीबक का सिर काट कर ११८६ हि० में कुसतुनतुनिया भेज दिया।

रूे से सुलह की बात चीत की गई लेकिन उसने शर्तें इतीन सख़्त लगाई कि सुलतान किसी तरह राज़ी न हुआ। इन चिन्ताओं का सुलतान पर ऐसा असर पड़ा कि ११८८ हि० में उसका देहान्त हो गया।

सुलतान अब्दुल हमीद प्रथम

सुलतान मुसतफ़ा के बाद उसका भाई अब्दुल हमीद प्रथम खलीफा हुआ। यह अगरचः नेक स्वभाव और परहेजगार था लेकिन हुकूमत के कामों को बिल्कुल नहीं जानता था। सदर आज़म (प्रधानमंत्री) खलील पाशा और खुवाजा युसुफ की हिम्मत और नीति ने कुछ काम किया। परन्तु सलतनत पहले ही से कमजोर थी खलीफा की कमजोरी और बेसमझी ने उसके और कमजोर कर दिया। मिस्र और ईरान के झगड़े तो किसी न किसी तरह दबा दिये लेकिन रूस का जोर न टूट सका और किसीमिया की हुकूमत भी हाथ से जाती रही। आखिर उन्हीं शर्तों पर सुलह करनी पड़ी जो सुलतान मुसतफा तृतीय के जमाने में अस्वीकार की जा चुकी थी। इस प्रकार किसीमिया के अति रिक्त गिरजिस्तान, चरकस और अजाक का किला रूस के कब्ज़े में . चला गया।

सुलतान सलीम तृतीय

अब्दुल हमीद प्रथम के बाद मुसतफा तृतीय का लड़का सलीम बादशाह हुआ। उस समय देश की दशा बहुत खराब थी। फौज बेकाबू थीं। देश के अन्दर बग़ावतें हो रही थीं। बाहर की हुकूमतें दांत लगाए हुए थीं। रूस और आस्ट्रीया तो पहले ही दुश्मन थे। अब फ्रांस से भी लड़ाई शुरू हो गई। आस्ट्रीया और रूस से तो औने पौने सुलह हो गई जिस में तुर्कों का थोड़ा बहुत फायदा हुआ अर्थात आस्ट्रीया से बलगराद और सरबिया वापस मिल गया और पहली सीमा बाकी रही लेकिन नेपोलियन से काफी मार का रहा वह तो कहो अंग्रेज और रूसी भी फ्रांस के दुश्मन थे। इसलिए वह भी तुर्कों के साथ शरीक हो गए अन्यथा बड़ी मुश्किल होती। उन लोगों की मदद से बड़ा लाभ हुआ। इस बीच में खुद फ्रांस आस्ट्रीया से प्राजित हुआ और सारे देश में गड़बड़ मच गई। नेपालियन पहले ही से परेशान था। यह खबर सुनी तो और घबरा गया और रातों रात छुप कर फ्रांस चला गया। वहां शासन का ढंग बदल गया और खान्दान और वैत्तिक शासन की जगह जनतंत्र शासन काईम हो गया। और नेपोलियन उसका अध्यक्ष (सदर) बन गया। अब फ्रांस की नीति बदल गई नेपोलियन ने तुर्की हुकूमत को लिखा कि रूस और अंग्रेज तुर्कों के दुश्मन हैं। रूस यूनान पर कब्जा कर चुका है और अंग्रेज मिस्र की फिक्र में हैं। तुर्कों को चाहिए कि पहले की तरह फ्रांस से दोस्ती रखें इसी में उनका लाभ है। तुर्कों की भी यही राय थी अतः मामला तय हो गया और एक नया प्रतिज्ञा पत्र (अहदनामा) लिख गया जिसमें फ्रांस ने मिस्र और युनान पर तुर्कों की हुकूमत मान ली और तुर्कों ने अपनी सलतनत में पहले की तरह फ्रांस को व्यापार का अधिकार दे दिया। सुलतान सलीम बड़ा समझदार बादशाह था। उसने देखा कि जब तक फौज ठीक न होगी यू हीं दशा खराब रहेगी इसलिए इस तरफ उसने ध्यान दिया। जंगी मदरसे काइम किये। तुर्की भाषा में जंग के बारे में पुस्तकें तैयार कराईं। जंगी जहाज बनवाए। तोपें ढालने के कारखाने काइम किये लेकिन अफसोस उसे अधिक मौका न मिला। इनकशारी फौज और दूसरे सरदारों ने अपना असर कम होते देखा तो बगावत कर दी। पहले नये वजीरों को कत्ल कराया फिर खुद सुलतान को तुरन्त तख्त से उतार दिया। (सन् १२२२ हि०)

सुलतान मुसतफा चतुर्थ

सुलतान सलीम की जगह सुलतान अब्दुल हमीद प्रथम के लड़के मुसतफा को तख्त पर बैठाया गया। उसने बादशाह होते ही सुलतान सलीम के जमाने के तमाम सुधार वापस ले लिया और फिर वही पुरानी चाल शुरू हो गई। उस समय रूस से जंग हो रही थी। खबर पहुंची तो इनकशारी बहुत खुश हुए प्रधान मंत्री हलमी पाशा ने विरोध किया तो उन्हें भी मार डाला। वह तो कहो रूस नेपोलियन से लड़ रहा था। अन्यथा तुर्की पर कैसी तबाही आती लेकिन रूस नेपालियन से हार गया और मजबूरन तुर्कों से सुलह करनी पड़ी। इसके बाद रूस ने चुपके से नेपोलियन से तय कर लिया कि दोनों मिल कर तुर्की से लड़ें और सारा देश आपस में बांट लें। उधर तुर्की की दशा बहुत तबाह थी। वह तो अल्लाह ने खैर की कि माजूल सुलतान सलीम के जमाने के चार पांच आदमी बाकी रह गय थे। वह फौज लेकर कुसतुनतुनया आए कि सुलतान सलीम को फिर बादशाह बना दें। लेकिन यहां पहुचे तो सुलतान सलीम कैत्ल हो चुके थे। मजबूरन सुलतान अब्दुल हमीद के लड़के महमूद को तख्त पर बैठा दिया (सन् १२२३ हि०)

अनुवाद– हबीब उल्लाह आज़मी

क्या चिकित्सा हेतु

मानव अंगों से लाभ उठाया जा सकता है?

मुनव्वर सुल्तान नदवी

नई साइन्सी रिसर्चों और तजरिबों के सबब जिन्दगी के मसाइल (समस्याएं) हल करने में जो आसानियां पैदा हो चुकी हैं वह एक जिन्दा हकीकत (जीवित वास्तविकता) हैं चुनांचि जिन्दगी के दूसरे शुअबों (विभागों) की तरह मेडिकल साइन्स में भी बहुत ज़ियादा तरक्किया (विकास) हो चुकी है। इस तरह न सिर्फ बहुत सी बीमारियों के लिए दवाओं की खोज हो चुकी है बल्किी चिकित्सा के लिए उन चीजों का प्रयोग भी शुरू हो चुका है जो पहले असम्भव समझा जाता था चुनांचि इन्सानी अंगों की चीड़फाड़ मानव अंगों की जोड़ गांठ हिद्रय, गुर्दी और आंख बदलना खून गुर्दा और आंख को दान और फिर ब्लड बैंकिंग और अंगों की बैंकिग सारी चीजे आज पर्याप्त परिचित हो चुकी है और जरूरत पड़ने पर हर किसी को इन हालात से गुजरना पड़ता है इसलिये नीचे की लाइनों में इन बातों से मुतअल्लिक शरअी आदेश पेश करने की कोशिश की गयी है।

खून का प्रयोग

कमजोर मरीज को ताकत पहुंचाने और दुर्घटना और बड़े आपरेशन के अवसर पर तुरन्त बल के लिए खून चढ़ाया जाता है अब प्रश्न ये है कि क्या एक मानव का खून दूसरे मानव को देना सही है? इस सिल्सिले में असली उसूल यह है कि अल्लाह तआला ने मानव को तमाम मखलूकात में बड़ा और मुहतरम बनाया है उनकी सारी वस्तुएं काबिले एहतराम हैं मानव के इस तकरीमी पहलू को कुरआन में बहुत जगहों पर बयान किया है – जैसे अनुवाद : (बेशक हमने इन्सान को मुकर्रम बनया है) अनुवादः (हमने इन्सान को बेहतरीन ढांचों में पैदा किया है) इस एहतराम और तकरीम का तकाजा है कि मानव दूसरी चीजों की तरह काबिले इस्तेमाल और काबिले फरोख्त सामान न बने, इसलिए (फुकहा) आचार्यों ने एहतराम मानवता की बिना पर मानव के किसी अंग से फाईदा उठाने और उसकी लेन देन को ना जाईज करार दिया है। अल्लामा इब्ने नजीम मिश्री लिखते हैः मानव के बाल से फाइदा उठाना सही है और न उसको बेचना, इसलिए की मानव मुकर्ररम है लिहाजा इसके अंगों में से किसी अंग को ज़लील करना और उसको इस्तेमाल करना जाइज नहीं (अल बहरूराइक) अल्लामा शामी ने बालों की तरह नाखून की खरीद व फरोख्त (लेनदेन) को भी नाजाइज कहा है (रद्दूलमुहतार) इसी तरह औरत के दूध की तिजारत यहां तक कि बांदी का दूध बेचना भी एहतराम आदमीयत की वहज से नाजाइज करार दिया गया है जबकि बांदी आका (मालिक) की मिल्कियत होती है (फतवा हिन्दीया), मजकूरा तफसीलात और आचार्यों की इबारतों को सामने रखने से मालूम होता है कि इन्सानी खून का इस्तेमाल दुरूस्त नहीं कियों कि ये भी मानव के शरीर का एक अंग है। और मानव शरीर से फाइदा जाइज नहीं खून से मुतअल्लिक आम हुक्म यही है यानी नार्मल हालत में खून चढ़ाना या अपनी ताकत बल बढ़ाने के लिए खून का इन्जेक्शन लगवाना दुरूस्त नहीं है। लेकिन अगर मरीज को डाक्टर खून चढ़ाने का मशवरा दे और मरीज की हालत ऐसी हो कि बरवक्त खून न देने से उसकी हालत बिगड़ सकती है या जान जाने या किसी अंग के नाकरा बेकार होने का अंदेशा है तो ऐसे मरीज के लिए जरूरत के बकदर खून चढ़ाना दुरूस्त है।

दलील यह है कि चिकित्सा के लिए हराम चीजों का इस्तेमाल दुरूस्त है फुक्हा ने इसकी इजाजत दी है।

मशहूर फकीह अल्लामा हसकफी लिखते हैं (अनुवाद) हराम चीजों से इलाज चिकित्सा के मसअले में फुकहा का इखतिलाफ है कहा गया है कि जब इस से तन्दरूस्ती और शिफा का यकीन हो और उसके अलावा दूसरी दवा न हो तो जाइज है कि जैसे कि प्यासे का मस्अला है और फतवा इसी पर है।

इसी तरह फुकहा ने चिकित्सा के लिए खून और पेशाब पीने की इजाजत दी है जबकि महिर डाक्टर इसका मशवरादे और इसका बदल मुबाह चीजों में मौजूद न हो फतावा हिन्दीया में है।

(अुनवाद : बीमार के लिए खून और पेशाब पीना जाइज है जबकि कोई मुसलमान डाक्टर ये बताऐ कि इसके पीने से शिफा होगी और मुबाह अशया में इसका कोई बदल मौजूद न हो)

खून (इस्तेमाल) करने के जवाज से मुतअल्लिक एक नजीर औरत का दूध भी है कि बाल के अलावा किसी दूसरे के लिए इस्त्री का दूध पीना हराम है लेकिन अगर उससे किसी बीमारी की चिकित्सा हो तो फुकहा ने ऐसे रोगी के लिए औरत का दूध पीने को जाईज करार दिया है।

(फतावा हिन्दया) जिस तरह दूध मानव शरीर का अंग है इसी तरह खून भी मानव शरीर का अंग है, लिहाजा जब चिकित्सा के लिए औरत का दूध और दीगर हराम चीजों को इस्तेमाल सही है तो मानव खून का इस्तेमाल भी सही करार पायेगा लेकिन जिस तरह दूध और हराम चीजों को इस्तेमाल (प्रयोग) जरूरत के बकदर और ना गुजीर हालत में जाइज है इसी तरह खून का इस्तेमाल सिर्फ गम्भीरता में ही जरूरत के बकदर जाइज होगा।

खून का दान

मजकूरा तफसीलात से ये बात वाजेह हो चुकी है कि नार्मल हालात में खून चढ़ाना दूरूस्त नहीं अलबत्ता जब इन्सान के लिए खून लेना जरूरी हो और इसके बगैर चारा न हो तो फुकहा ने जरूरत के बकदर खून इस्तेमाल करने की इजाजत दी है लिहाजा जरूरत की वहज से खून इस्तेमाल करना जाइज है तो फिर जरूरत के मौके पर दूसरे का खून का दान देना भी दुरूस्त करार पायेगा।

फिकह का उसूल है कि किसी चीज़ का जाइज होना उस से फाइदा लेने के जवाज को बतलाता है और दान इन्तिफा की अच्छी शक्ल है वरना इसके जवाज का कोई फाइदा नहीं होगा इसी तरह उसूल है, जब कोई चीज साबित हो जाए तो वह अपने लवाजिम के साथ साबित होती है।

खून के दान के सिलसिले में फुकहा (आचार्यों) ने ये शर्त भी लगाई है कि दूसरे को खून दान की वजह से खुद इस खून देने वाले की जिन्दगी को खतरा लाहिक न हो अर्थात खून देना उस वक्त जाइज है जब कि उस खून की वजह से खून देने वाले की तन्दुरूस्ती को हानि न हो क्योंकि रोगी, मरीज की जान बचाने के लिए एक तन्दुरूस्त की सवस्थ को खतरे में डालना किसी तरह मुनासिब नहीं है (जवाहिरुलफिक्ह) खून का दान बड़ी इन्सानी हमदर्दी है, इस मानवता और हमदर्दी के मुस्ताहिक गैरमुस्लिम और मुसलमान दोनों हैं इसलिए इस हुक्म में दोनो बराबर है मुसलमानों की तरह गैर मुस्लिम को भी खून देना सही है इसी तरह पति, और पत्नी एक दूसरे को खून दे सकते है इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हुरमत मुसाहिरत के असबाब मुतअय्यन (नियुक्त) हैं।

ब्लड बैंक और खून दान कैम्प

जमाना बहुत तेजी के साथ तरक्की की मंजिले तै कर रहा हैं हवादिस और खतरात उसी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, बस, ट्रेन के हादसे, टकराव के वाक्यात और आसमानी आफात पेश आते रहते हैं।

जहां सैकड़ों और हजारों जाँ व लब रोगियों को एक ही वक्त में खून देने की जरूरत पड़ जाती है और इतने लोगों को फौरन खून फराहम करना बड़ा मुश्किल काम होता है इन इम्कानी और हंगामी जरूरतों के सरकारी और गैर सरकारी तौर पर **Blood Donation Camp** लगा कर उनकी तरफ से **Blood Bank** काईम किये जाते है इस तरह ब्लड बैंक खोलना खून दान कैम्प लगाना भी मजकूरा जरूरत की वहज से दुरूस्त है मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी एक इस्तिफ्ता के जवाब में लिखते हैः

जब खून का प्रयोग जाइज हैं तो खून का हिबा, करना भी जाइज है खून का दान देना उसका बैंक काइम करना और इस अच्छे काम के लिए कैम्प लगाना जाइज और दुरूस्त है

ब्लड बैंक कायम करने से मुतअल्लिक मुफ्ती निजामुद्दीन साहब आजमी का फतवा भी इसी तरह है

(मुन्तखाबात निजामुल फतावा)

बाज अंगों की सरजरी और बाज दीगर रोग में अपने ही अंग का कोई हिस्सा जैसे जिल्द, गोश्त नस रग वगैरह अपने किसी दूसरे अंग में प्रयोग किया जाता है अगर चिकित्सा के तौर पर ऐसा किया जा रहा है तो ये जाइज है शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं है तिर्मिजी की रिवायत का अनुवाद है कि जिन्दा मानव से कटा हुआ हिस्सा (अंग) मुर्दा की तरह है अलबत्ता उस आदमी के हक में ऐसा नहीं है। इसीलिये फुकहा ने अपने कटे हुए अंगों का दूसरे किसी अंगों में प्रयोग करने को जाइज करार दिया है क्योंकि इस में इहानत नहीं है इमाम अबू युसुफ की यही राय है (बदाये बनाये) अपने अंग के प्रयोग में इसकी तौहीन नहीं है और आमतौर पर फुकहा ने इसी कौल पर फतवा दिया है अलबत्ता दूसरे आदमी का अंग या उसके शरीर का कोई हिस्सा

प्रयोग कर सकते है या नहीं? इस सिलसिले में मुअसिर फुकहा की राय दो तरह की है फुकहा की एक जमात की राय ये है कि एक इन्सान के लिए दूसरे इन्सान के किसी अंग का प्रयोग दुरूस्त नहीं है। इन हजरात की दलील ये है कि इन्सान मुहतरम है जिन्दा इन्सान से किसी अंग का अलग करना इन्सान की तौहीन है। जो किसी तरह दुरूस्त नहीं हे फिर जो अंग शरीर से अलग किया जायेगा वह बदन से जुदा होने के बाद हमेशा नापाक रहेगा। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि जिन्दा पशु (जानवर) से जो हिस्सा अंग काट लिया जाये वह मुर्दार के हुक्म में है इसी तरह फिकह का यह जुजया भी उन हजरात की दलील है कि मुजतर के लिए अपने जिस्म का गोश्त (मॉस) खाना दुरूस्त नहीं (फतावा काजी अली खाँ अलहिन्दिया) ऐसे ही अगर दूसरा आदमी इजाजत (आज्ञा) दे तब भी उसका कोई अंग काट कर खाना दुरूस्त नहीं है क्योंकि इन्सानी मांस हलाल नहीं है। (रद्दुल मुहतार) मुआसिर फुकहा की दूसरी जमाअत की राये ये है कि अगर इन्सान का कोई अंग नाकारा हो जाए उसकी जगह दूसरे इन्सान का अंग लगाना जरूरी है इसके बगैर उसकी जिन्दगी खतरे में हो या किसी अंग की मनफअत खत्म हो रही है तो ऐसी सूरत में दूसरे इन्सान का अंग लगाना दुरूस्त है ब शर्ते कि उसका बदल मौजूद न हो इन हजरात की दलील वह तमाम फ़िकही क्वाइद है। जिनके मुताबिक जरूरत और इजतिरार के वक्त हराम चीजों का प्रयोग जाइज हो जाता है इन हजरात का कहना है कि मौजूदा जमाने में पेवन्द कारी का जो तरीका जारी है वह इहानते आदमी में दाखिल नहीं है नीज ये कि इन्सान के तहफ्फुज के लिए इहानते मुहतरम को गवारा किया जा सकता है फिक्ह की किताब में उसकी बहुत सी नजीरे मौजूद हैं हामिल और मर जाए और इस के पेट में बच्चा हरकत कर रहा है और जन्ने गालिब हो कि बच्चा ज़िन्दा है तो उसके पेट को चाक करके बच्चा निकालना दुरूस्त है फुकहा ने इस जुजये को बयान करने के बाद लिखा है कि इस में एक इन्सान को जिन्दगी बखशना है और किसी जिन्दा की मौत का सबब बनने के मुकाबिले में जियादा आसान है की आदमी कि अजमत के तकाजे को छोड़ दिया जाए। (तुहफतुल फुकहा)

हिन्दुस्तानी उलमा में काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी, मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी और बहुत से मुफतियाने किराम व असहाबे तहकीक उलमा की यही राय है साहिबे नजर फकीह मुफ्ती निजामुद्दीन आजमी साहब इस सिलसिले में पूरे एहतियात के साथ तहरीर करते है, हाँ अगर इजतिरारी सूरत ऐसी हो जाए कि जिस्म के अन्दर में मसलन गुर्दा, फेफड़ा, जिगर, दिल वगैरह में कोई इस दरजा खराब हो जाए कि इस को निकाल कर दूसरा लगाना जरूरी हो जाये और माहिर मुआलिज के नजदीक जिन्दा रहने के लिए और जिन्दगी बचाने के लिए उस अमल के बगैर चारह न रहे बल्कि यही अमल मुतअय्यन हो जाए और सिहत व इबकाए जिन्दगी का गुमान गालिब हासिल रहे तो उस इजतिरार की हालत में जांन बाकी रखने के लिए इस अमल के बकद्र गुन्जाईश हो सकेगी। (मुनतखब निजामुल फतावा) इसलामिक फिक्ह एकाडमी मक्का मुकर्रमा और इन्टर नेशनल फिकह एकांडमी जद्दा का फैसला भी यही है, देखये फिकही फैसले –पृ० १५६

मानव के अंग का दान

एक जरूरत मन्द इंसान को अपना कोई अंग या शरीर का कोई अंग देना जाइज है बशर्ते कि वह अपनी मर्जी से दान करे, किसी के दबाव में न हो और फिर इस दान की वजह से उसकी सिहत मुतअसिर न हो रही हो और न उसकी जिन्दगी खतरे में पड़ सकती है वरना फिर उस आदमी के अंग का दान दुरूस्त नहीं होगा। (हवाला साबिक)

अंग की खरीद फरोख्त

अंग से फाइदा उठाने के जिमन में ये मअसला पीछे गुजर चुका है कि इन्सानी अंग में किसी चीज की भी खरीद व फरोख्त दुरूस्त नहीं है बल्कि ये हराम है अलबत्ता इजतीरार की हालत में जब मतलूबा अंग बतौर अतया कहीं से दस्तियाब न हो तो जरूरत की बिना पर उसका खरीदना दुरूस्त है जरूरत पर हराम अशया खरीदने से मुतअल्लिक कई नजीरें इस मसअले की दलील है अलबत्ता बचने में कोई जरूरत नहीं इसलिए ये बहर सूरत हराम है।

किया मुर्दा लाश के अंग से फाइदा उठाया जा सकता हैं

शरीअत की नजर में जिंदा इन्सान की तरह मुर्दा लाश भी काबिले एहतिराम है और उसकी तौहीन व इहानत किसी दर्जे में दुरूस्त नहीं है इसलिए इन्सानी लाश को अच्छी तरह

दफनाने और उसके साथ एहतराम का सुलूक करने का हुक्म है रसूल स० का इरशाद है अनुवाद अपनी दुल्हनों की तरह अपने मुर्दों के साथ तकरीम के साथ पेश आओं इसी तरह मुर्दों को तकलीफ पहुचांने से भी मना किया गया। हजरत आइशा की रिवायत है कि रसूल स० ने फरमाया कि मुर्दों की हड्डी तोड़ना जिन्दा इन्सान की हड्डी तोड़ने की तरह है।

इन्हीं बुन्यादों पर फुकहा ने मुर्दों के अंग से फाइदा उठाने को नाजाइज करार दिया है और उस की हड्डी से इलाज को भी ना जाइज करार दिया है। (शरहुस्सियरूल कबीर) इसलिए आम फुकहा की राय यही है कि इजतीरार के बावजूद मुर्दों का कोई अंग इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। अलबत्ता फुकहा की एक जमाअत इस बात की कायल है कि मजकूरा जरूरत के पेशे नजर मय्यत के अंग से फाइदा उठाना दुरूस्त है और इजतीरारर की हालत में किसी की जान बचाने के लिए मुर्दों का कोई अंग लेना उसकी तौहीन नहीं है इसकी दलील भी फिकह के वह कवाइद हैं जिनसे इजतिरार की हालत में हराम अशया के इस्तेमाल का जवाज साबित होता है नीज ये जुजया भी दलील है कि फुकहा ने मुजतर्र को मुर्दों का गोश्त खाने की इजाजत दी है जब कि इसके बगैर जान बचाने के लिए खाने की कोई चीज मौजूद न हो मशहूर हम्बली फकीह अल्लामा इब्ने कुदामा लिखते है कि इमाम शाफई और बाज अहनाफ की यही राय है (अल मुगनी) खुद इब्ने कुदामा और मालकी फकीह इब्ने अरबी का रुजहान भी इसी तरह है (हवाला साबिक) मक्का मुकर्रमा की फिक्ह एकाडमी और इन्टर नेशनल फिकह एकाडमी जद्दा ने भी मुर्दा के अंग से इत्तिफा को जाइज करार दिया है इन एकाडिमियों की तजवीज यहां तक है कि जरूरत मन्दों की जिन्दगी के तहफ्फुज के लिए मुर्दों के अंग हासिल किये जाये बशर्ते कि जिसका अंग लिया जा रहा है वह मुकल्लफ हो और अपनी जिन्दगी में इसकी इजाजत दे और उसके वरसा राजी हो। अगर लावारिस है या पहचान नहीं हुई है तो मुसलमानों के सरबराह ने उसकी इज़ाजत दी हो (फिकही फैसले और शरई फैसले)

अंग की बैकिंग

आसमानी आफात या बड़े हादिसात के मौके पर जिस तरह बड़ी मिकदार में खून की जरूरत पड़ती है इसी तरह पेवन्दकारी और टूटे अंग की दुरूस्तगी के लिए मुखतलिफ अंगो की जरूरत पड़ती है इस मकसद के लिए अंग की बैकिंग होती है जरूरत के पेश नजर जदीद तिब्बी सुहूलत से फाईदा उठाने के लिए बाज फुकहा ने अंग की बैकिंग के जवाज की तरफ इशारा किया है।

मृत के बाद किसी अंग के दान देने की वसिय्यत करना

मृत से पहले अपने किसी अंग के दान करने की वसिय्यत करना या इस तरह कहना कि मेरी मौत के बाद मेरा फुलां अंग किसी जरूरत मन्द मरीज को दे दिया जाये या अंग जमा करने वाले बैंक में जमा कर दिया जाय ताकि दीगर गरीब मरीजो की जान बचाने में काम आ जाय ऐसी वसिय्यत दुरूस्त नहीं क्योंकि इन्सान अपने जिस्म का मालिक नहीं है कि वह जिस तरह चाहे उसमें तसर्रुफ करे बल्कि वह शरीर का मुहाफिज व निगरा है और जिस हद तक शरीअत ने तसर्रूफ की इजाजत दी है उसी कदर तसरूर्फ का हक रखता है इसलिए खुदकुशी को भी हराम करार दिया गया है, अतः अपना कोई अंग यहां तक कि उंगली काटना भी हराम है लिहाजा मरने के बाद आंख वगैरह के दान करने की वसिय्यत दुरूस्त नहीं है इस का शरअन कोई एतबार नहीं है और न ही वसिय्यत के बाद उसकी अदायगी लाजिम है।

जमहूर उलमा की यही राय है। पेछे इख्तिलाफी बयान आ चुका है। (अनुवादकः अब्दुल वकील नदवी)

(पृष्ठ २७ का शेष)

अकेली वह भाषा है जो हिन्दू–मुसलमानों की एकता की प्रम्परा की द्योतक है। जो सही अर्थो में सहृदयता और उदारता के बुनियादी उसूलों पर काईम है। इस देश की सेवा करनी है। दिल को दिन से मिलाना है। शक व शुबह बदनुमा दोगों को धोना है। हमारे कानून में जिस आजादी, बराबरी और बिरादरी का दावा है उसे कौम (राष्ट्र) की जिन्दगी में साबित करना है।

(प्रस्तुतिः एम० हसन अंसारी)

अक़ीदे (आस्था) की पुख़्तगी और संतुलन

तमाम धर्मों में इस्लाम की एक विशोषता है कि उस ने अक़ीद (आस्था) को बिल्कुल साफ कर दिया है और उस में ऐसा संतुलन (तबाजन) रखा है कि सारी सीमाएं उभर कर सामने आ जाती हैं जबकि दूसरे धर्मों के अध्यन से मालूम होता है कि उन के यहां यह सीमाएं ऐसी मिट गई हैं कि एक साधारण आदमी तो अंतर भी महसूस नहीं कर सकता। खास लोग और उलमा भी तरह तरह के आशंकाओं में पड़ जाते हैं। अल्लाह की कल्पना हर धर्म में है लेकिन अल्लाह की आस्था के साथ ऐसी ऐसी व्यर्थ बातें शामिल कर दी गई हैं कि एक बन्दे के लिए भी वह अपमानजनक हैं न कि उनकी कल्पना माबूद (उपास्य) और अल्लाह के साथ हो। मिसालें इन धर्मों की पवित्र पुस्तकों में देखी जा सकती हैं। इस तरह इश्वरत्व (उलूहियत) और नबूवत के बीच जो अंतर है वह भी उन धर्मों में बाकी न रहा। नबी के बारे में उन लोगों की कल्पना बिल्कुल वही हो जाती है जो अल्लाह के बारे में होना चाहिए। दूसरी तरफ नबी के सिलसिले में ऐसी बातें भी उनकी पवित्र पुस्तकों में हैं कि एक नबी के बारे में इसकी कल्पना भी मुमकिन नहीं। अल्लाह के आदेशों और नबी के कथनों के बारे में भी उनके यहां कोई स्पष्ट विचार नहीं मिलता। बाज मर्तबा हुक्मे इलाही ओर नबी के कथनों के मुकाबले में उनके आलिम और राहिब (धर्मगुरू) की बात उनके नजदीक अधिक वज़नी और अमल के क़ाबिल होती है। अक़ीदे (आस्था) के सिलसिले में यह नाबराबरियां हैं जो आमतौर पर दूसरे धर्मों में नजर आती हैं।

इस्लाम ने अक़ीदों के मामिले में इतनी स्पष्ट लकीर खींच दी है कि कोई भी खुली आंख धोखा नहीं खा सकती। हां अगर कोई आंख ही बन्द कर ले उसके लिए सिवाय अंधकार के और क्या है?

तौहीद (एकेश्वरवाद) का दावा बहुतों ने किया है लेकिन इस्लाम ने इसकी हक़ीक़त स्पष्ट की है और इसको ऐसे दोटूक अंदाज में स्पष्ट कर दिया है कि शिर्क की कोई मिलावट इसमें बाकी नहीं रह जाती " कान खोल कर सुन लो कि उसी का काम है पैदा करना और उसी का काम इन्तजाम चलाना"। साफ कह दिया गया कि "कोई भी उसके बराबर नहीं हो सकता" पूरा कुर्आन मजीद तौहीद से भरा हुआ है। हज़रत मौलाना सय्यिद अबुल हसन अली नदवी ने बड़ी हकीमाना बात लिखी है कि "कुर्आन मजीद पढ़ने वाला बशर्ते कि समझ कर पढ़े मुशरिक (अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना) हो ही नहीं सकता।

बन्दे और माबूद (उपास्थ) के बीच इस्लाम में जो विभाजन सीमा (हद्दे फ़ासिल) मिलती है वह किसी धर्म में नजर नहीं आती। जमाना कितना ही आगे बढ़ जाए लेकिन बन्दा बन्दा ही है वह खुदा नहीं हो सकता। बन्दे की बन्दगी ही उसकी असल पहचान बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी है। इस्लाम ने इस के लिए जो सीमाए क़ाईम की हैं और जो बुनियादें बनाई, इस्लाम की पूरी इमारत इन्हीं बुनियादों पर कायम हैं अगर यह बुनियादें न हों तो पूरी इमारत ध्वस्त हो जाती है। बड़े से बड़ा अमल उस समय तक स्वीकार योग्य नहीं जब जक अक़ीदे दुरूस्त न हों। शिर्क और कुफ्र (खुदा से इंकार) की आमोज़िश (मिलावट) ऊंची से ऊंची इमारत को ध्वस्त कर देने के लिए काफ़ी है।

वर्तमान युग में अक़ीदों के बारे में ग़फ़लत की एक आम धारणा बनती जा रही है जो इस्लाम के विराट पेड़ को एक घुन की तरह चाटती जा रही है। मदारात आदर सतकार और अख़लाक़ आचरण की बुलन्दी एक और चीज है। वह तो इस्लाम के मिज़ाज में दाखिल है लेकिन कुफ्र वह शिर्क से नफरत होना और उसके बारे में नर्मी पैदा हो जाना सख्त खतरे की बात है और एह ऐसा नाजुक मसला है कि बाज़ मर्तबा ज़रासी लापरवाही आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देती है।

इस्लाम ने अक़ायद की जो सीमाएं निश्चित की है उनको समझाना हर शख्श के लिए जरूरी है। अल्लाह वाहिद के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता। उस की कुदरत, उसकी हिकमत, उस की बादशाहत उसका प्रबन्ध सब उसी के हाथ में है जो चाहे करे। सब उस के बन्दे और मुहताज हैं। उसको किसी की जरूरत नहीं। वह हमेशा है उस को फना (मृत्व) नहीं

वही हर चीज को पैदा करने वाला है। तकदीर उस के हाथ में है। जो कुछ होता है उसी के हुक्म से होता है। वह जिस चीज के बारे में चाहे फ़रमादे कि हो जा बस वह हो जाती है। उसको किसी सहायक की जरूरत नहीं। हर चीज उसकी जानकारी और कुदरत (शक्ति) की सीमा में है। यह विशेषताएं हैं जो अल्लाह वाहिद (एकेश्वर) के साथ खास हैं। इन सीमाओं में कोई दूसरा दाखिल हो ही नहीं सकता। किसी नबी के बारे में या किसी वली के बारे में या किसी फरिश्ता या मख़लूक़ के बारे में इन विशेषताओं की कल्पना क़ाइम होगी तो वह सरासर शिर्क होगी। नबूवत की अपनी सीमाए हैं। नबी मासूम (बेगुनाह) होता है यह पवित्रता का अक़ीदा किसी दूसरे के बारे में होगा तो यह ईमान के खिलाफ है। बड़े से बड़ा महात्मा, वली मासूम नहीं हो सकता। नबी से गुनाह हो ही नहीं सकता। दूसरा गुनाह कर सकता है। अलबत्ता अल्लाह अपने जिन बन्दों की हिफ़ाज़त करना चाहता है करता है।

आखिरी नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल (संदेश वाहक) हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो फ़रमाते हैं वह अल्लाह ही की तरफ से होता है जिसको आप हलाल फरमायें वह हलाल है और जिसको हराम फ़रमायें वह हराम है किसी दूसरे को यह अधिकार नहीं। न कोई हलाल को हराम कर सकता है और न हराम को हलाल। जिसको आप (सल्ल०) ने फ़र्ज़ कह दिया वह फ़र्ज़ है, क़ियामत तक के लिए लाज़िम है। उस को कोई साकित (निरस्त) नहीं कर सकता। किसी बड़े से बड़े आलिम, बुजुर्ग या शैख को इसकी अनुमत नहीं कि वह शरीअत को तब्दील करें और अगर कोई ऐसा कारता है तो वह मिल्लत से खरिज है और अगर कोई किसी के बारे में ऐसा समझता है तो वह भी राहे हक से मुनहरिफ (पथभ्रष्ट) है। हर आलिम शरीअत का सेवक है। अपनी तरफ से वह कोई बात नहीं कह सकता। मौजूदा बीमारियों में से यह भी है कि बाज मर्तबा किसी खुदसाख्ता आलिम को शरीअत पर तरजीह (वरीयता) दी जाने लगती है, यह बहुत खतरनाक दर्वाजा है। इसके नतीजे में आदमी भटक जाता है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उलमा शरीअत के खादिम ओर तर्जुमान हैं। उनकी बात इसीलिए मानी जाती है और उनका सम्मान इसीलिए लाज़िम (अनिवार्य) है। अल्लाह तआला आइम ए अरबा को बहतरीन बदला प्रदान करें कि उन्हों ने शरीअत की भरपूर तर्जुमानी (स्पष्टीकरण) की और किताब व सुन्नत की रोशनी में एहकामात (आदेशों) स्पष्ट किये और मसाएल बताए। वह दीने शरीअत के सेवक हैं। उन्होंनें ने शरअी कानून अपनी तरफ से नहीं बनाए बल्कि किताब व सुन्नत को बाज़ह (स्पष्ट) किया और खोल खोल कर बयान किया ताकि एक साधारण आदमी भी समझ सके। किसी चीज को हलाल करना या हराम करना उलमा का काम नहीं, यह नबी का मन्सब (अधिकार) है। उलमा का काम यह है कि उसको बयान कर दें। उलमा को नबी का दर्जा देना गुमराही है और नबी को खुदाई में शरीक करना, गुमराही है। अक़ायद के बारे में यह इस्लामी सीमाएं हैं जिनका समझना बुनियादी तौर पर हर मुसलमान के लिए जरूरी है।

सबै सहायक निर्बल के
कि कोऊ न निर्बल सहाय
पवन जगावत आग को
कि दीपहिं देत बुझाए
सब निर्बल मिल बल करें
करें जो चाहें सोए
तिनकन की रसरी बरी
करी निबन्धान होए

माशाअल्लाह तब्लीग़ी जमाअ़त के साथ काम करने वालों में इंजीनियरों की बड़ी तादाद है। प्रोफेसरों, डाक्टरों, टीचरों और सरकारी अहल्कारों की तअ़्दाद का तो गिनना मुश्किल है। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों की हिफ़ाज़त फ़रमाये और अपनी मर्ज़ीयात पर चलाये।

(पृष्ठ ३५ का शेष)

इनतजाम करना यह हिन्दुस्तान में हजरत शाह वली उल्लाह साहब (रह०) की लाइन व तर्बियत है। तालीम के साथ खाने पीने, कपड़े, दवा, इलाज का खर्च भी मदरसा करता और यह मदरसे रूपया, आठ आना के मुसलमानों के चन्दे से चलते हैं। मुसलमान बादशाहों से भी हमारे आलिमों ने मदरसे के लिए पैसे नहीं लिये। मदरसे के जिम्मेदारों ने हर जमाने में आम मुसलमानों के मामूली चन्दे को स्वीकार किया मगर कभी किसी हुकूमत से कोई मदद नहीं ली। (जारी)

आपके प्रश्नों के उत्तर

इदारा

प्रश्नः मय्यित के दफ़न में अज़ीज़ों और रिश्तेदारों के इन्तिज़ार में देर करना कैसा है?

उत्तर : कफ़न दफ़न में जितनी जल्दी मुम्किन हो करना चाहिए इसलिए कि हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः ऐ अ़ली! तीन बातों में ताख़ीर (देर) न करना, नमाज़ जब उस का वक्त आ जाए, जनाज़े में जब हाज़िर हो जाए, लड़की के निकाह में जब वह बालिग़ हो जाए और उसका मुनासिब रिश्ता मिल जाए। लेकिन यह कि मय्यित के बेटी बेटे कुछ फ़ासिले से आ रहे हो तो उन के लिये कुछ घन्टों के इन्तिज़ार की गुंजाइश है, बल्कि कभी यह ज़रूरी हो जाता हे। जब यह मअ़लूम हो जाए कि फ़ुलां अ़ज़ीज़ कुछ फ़ासिले से तदफ़ीन में शिरकत के लिए चल चुके हैं उनका भी कुछ इन्तिजार किया जा सकता है। जल्दी का यह मतलब न लिया जाना चाहिए कि मौत होते ही फ़ौरन ग़ुस्ल दे, कफ़न दे नमाज़ पढ़े और दफ़न कर दें। इन्तिज़ामात करने और क़रीबी अ़ज़ीज़ों के आने के इन्तिज़ार में कुछ घन्टे लग जाएं तो कोई हरज नहीं अल्बत्ता सोच समझ कर, फ़ैसला कर के मुनासिब वक़्त का एअ़लान ज़रूरी है फिर उसका लिहाज़ ज़रूरी है ताकि अपने भाइयों को इन्तिज़ार की बेजा तकलीफ़ न उठानी पड़े।

प्रश्नः इन्सानों के अअ़ज़ा (अंगों) की तिजारत (व्यापार) और उससे फ़ाइदा उठाना कैसा है?

उत्तर : इन्सान के अअ़ज़ा (अंगों) की तिजारत (व्यापार) और उनसे फ़ाइदा उठाना जाइज़ नहीं है इसलिये कि यह उसकी करामत (प्रतिष्ठा) के खिलाफ़ है। क़ुरआने मजीद की सूरा बनी इस्राईल की आयत : ७० में आया है और हमने आदम की औलदा को इज़्ज़त दी। और फतावा हिन्दीयः में हैः आदमी के अजज़ा (अंगों) से फ़ाइदा लेना जाइज नहीं (इस तरह कि किसी मुर्दा या ज़न्दा इन्सान का कोई अ़ज्व (अंग) उसके जिस्म से अलग कर के उससे फ़ाइदा उठाये। यह नाजाइज है।) (तामीरेहयात २५ नवम्बर ०६ई)

प्रश्नः हज से वापसी पर हज का खाना करना कैसा ह?

उत्तर : हज से वापसी पर अगर किसी को अल्लाह तौफ़ीक़ दे और वह ख़ुशी व शुकराने में अपने भाईयों को खाना खिलाये तो इस में कोई हरज नहीं, बल्कि सवाब की उम्मीद है लेकिन शरीअ़त ने न इस की तरग़ीब दी है न हुक्म लिहाज़ा इसे सुन्नत व मुस्तहब न जाने, मुबाह समझें, सवाब जभी मिलेगा जब दिखावा न हो। हज के खाने को ज़रूरी समझना और खाना न करने वाले को बुरा कहना गुनाह है।

प्रश्नः हज से वापसी पर हाजियों के इस्तिक़बाल का क्या हुक्म है? और उन से दुआ की दरख़्वास्त का क्या हुक्म है?

उत्तर : हाजयो का इस्तिक़बाल मुस्तहब है, सवाब का काम है लेकिन सिर्फ़ इस्तिक़बाल के लिए सफ़र की मंजिलें तै करना ठीक नहीं है अल्बत्ता अगर ज़रूरत हो तो कोई हरज नहीं। इसी तरह मर्दों के इस्तिक़बाल के लिए औरतों का निकलना ठीक नहीं है अलबत्ता कोई औरत हज करके आ रही हो तो उसके इस्तिक़बाल में उसकी अ़ज़ीज़ औरतें निकल सकती हैं जब कि पर्दे का इहातिमाम हो। देखा गया है कि बअ़ज़ बे परदा औरतें बल्कि नव जवान लड़कियां बे पर्दा होकर हज पर जाने वाली औरतों को भेजने निकलती हैं या हज से वापस आने वाली औरतों को लेने निकलती है बेपर्दगी तो हर मौक़िअ़ पर हराम है, लेकिन हज जैसी इबादत के साथ यह हराम, शरीअ़त का मज़ाक़ उड़ाना है। ऐसे मौकों पर मौजूद दीनदारों को पूरी हिक्मत व शफ़क़त से ऐसी बहनों बेटियों को समझाना चाहिए। रही बात लौटे हाजी से दुआ कराने की तो यह अ़मल भी मुस्तहब है और बड़े सवाब का है, और चाहिये कि हाजी के घर दाख़िल होन से पहले ही दुआ कराई जाए। लेकिन अगर किसी को उस वक़्त मौक़अ़ नहीं मिला तो बअ़द में भी दुआ करा सकता है यहां तक कि मुफ़्ती सईद अहमद (रह०) ने मुअ़ल्लिमुल हुज्जाज में लिखा है कि एक रिवायत के मुताबिक़ १० रबीउ़ल अव्वल तक हाजी से दुआ कराने की गुंजाइश है।

प्रश्नः हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर कौन सा सलाम पढ़ना अच्छा है? बहुत से लोगों ने बड़े लम्बे लम्बे

सलाम लिखे है। बअ़ज़ शाअ़िरों ने बड़े अच्छे अन्दाज़ में सलाम लिखे हैं क्या सलाम पेश करने में उन अशआ़र को रौज़–ए–अक़्दस पर पढ़ा जा सकता है?

उत्तर : क़ुर्आने मजीद में आया है, तर्जमाः ऐ ईमान वालो नबी पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो बहुत बहुत। '' सल्लिमू तस्लीमा'' का यही मफ़्हूम है सलाम भेजो बहुत–बहुत। पस चाहिये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर हस्ब तौफ़ीक़ खूब दुरूद भेजें और खूब सलाम पहुंचाएं। फ़ुर्सत हो तो मंज़ूम सलाम भी खूब पढ़ा करें, किसी की याद में अशआ़र पढ़ने से उसकी महब्बत में इज़ाफ़ा होता है लिहाज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर मंज़ूम सलात व सलाम पढ़ना बहुत मुफ़ीद रहेगा अलबत्ता अशआ़र ऐसे न हों जिन में मुआज़ल्लाह शिर्क पाया जाता हो। शिर्किया अशआ़र पढ़ने से तो अअ़माल ग़ारत हो जाएंगें ईमान सल्ब (ख़त्म) हो जाएगा। अल्लाह अपनी पनाह में रखे।

रही बात रौज़–ए–अक़्दस पर सलाम पढ़ने की तो सोचें, ध्यान दें। हुज़ूर सल्लल्लहु अ़लैहि व सल्लम जब सहाब–ए–किराम की मजलिसों में मौजूद होते थे और कोई सहाबी हाज़िर होता तो किस तरह सलाम पेश करता था? एक सहाबी आए और उन्होंने कहा '' अस्सलामु अलैकुम'' और बैठ गए, हुजूर ने सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया ''दस'' दूसरे सहाबी आए और अ़र्ज़ किया ''अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि''आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया बीस, वह सहाबी भी बैठ गये, तीसरे सहाबी आए और अ़र्ज किया, ''अस्सलाम अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू'' आपने सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया तीस, वह सहाबी भी बैठ गये फिर सहाबा के दरयाफ़्त करने पर आपने वज़ाहत फ़रमाई (स्पष्ट किया) सिर्फ़ ''अस्सलाम अ़लैकुम'' कहने वाले को दस नेकियां मिलीं, रहमतुल्लह बढ़ाने वाले को बीस और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू'' बढ़ाने वाले को तीस नेकियां मिलीं। कभी किसी सहाबी ने जुर्अत न की कि हाज़िरी के वक्त अशआ़र में सलाम पेश करता। फिर हुज़ूर सलल्लाह अ़लैहि व सल्लम ने जो सलाम सिखाया है जिसे हम हर नमाज़ के अत्तहीयात में ''अस्सलामु अ़लेक अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू'' पढ़ते हैं। पस जब रौज़–ए–अनवर पर हाज़िर होते हैं तो यही तो तसव्वुर होता है कि हम ख़िदमत में हाज़िर हैं फिर आप ख़ुद फ़ैसला करें कि किस तरह सलाम अ़र्ज़ करेंगे?

मैं गुनहगार तो जब रौज़–ए–अनवर पर हाज़िर हुआ तो अ़जीब कैफ़ीयत हुई, ऐसा लगा कि मैं कभी रास्ता भूलकर अपनी जान से ज़ियादा अ़ज़ीज़/बुज़ुर्ग से बिछुड़ गया था आज अल्लाह तआ़ला ने उन की ख़िदमत में हाजिर कर दिया है। अब रोने के सिवा कुछ बन नहीं रहा था आसुओं की झाड़ियों के साथ ''अस्सलाम अ़लैक अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाह व बरकातुहू कह सका और ज़रा से दाहिने खिसक कर हज़रत अबूबक्र (रज़ि०) फिर ज़रा दाहिने हट कर हज़रत उमर (रज़ि०) को सलाम अ़र्ज़ किया फिर तीनों के सामने देर तक गुम सुम खड़ा रहा यहां तक कि भीड़ ने जगह छोड़ने पर मजबूर किया।कियामे मदीना मुनव्वरा में दोबारा यह कैफ़ीयत न रही लेकिन जितनी बार हाज़िरी की तौफ़ीक़ मिली ''अस्सलामु अ़लैक अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाह व बरकातुहू'' अ़र्ज़ कर सका इसी तरह दोनों साहिबैन को उन का नाम लेकर सलाम अ़र्ज़ किया। अलबत्ता कियामगाह पर या मस्जिद के किसी कोने में बैठ कर किताबों में लिख मुख़तलिफ़ सलाम पढ़ता और अशआ़र पढ़ कर भी सुरूर हासिल करता।

प्रश्नः कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्लल्लाहुअ़लैहि व सल्लम) जहां अराम फ़रमा हैं और जिस ज़मीन से आप का जिस्में मुबारक लगा हुआ है वह ज़मीन मरतबे में अ़र्श से भी अफ़्ज़ल है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अ़र्श अल्लाह का तख़्त है और जिस ज़मीन पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आराम फ़रमा हैं, वह आप (सल्ल०) का तख़्त है दोनों तख़्त बराबर भी नहीं हो सकते न कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तख़्त अल्लाह के तख़्त से अफ़्ज़ल हो सहीह बात पर रौशनी डालिये।

उत्तर : इस में तो कोई शक नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का दर्जा अल्लाह की मख़्लूक में सब से बड़ा है। चूंकि इस मस्अले में किसी को शुब्हा तक नहीं इसलिये इसकी दलील की कोई ज़रूरत नहीं। किसी शाअ़िर ने क्या ख़ूब कहा हैः–

ला युम्किनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़हू

बअ़दज़ ख़ुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सः मुख़्तसर।

(शेष पृष्ठ ६ पर)

सूद (ब्याज) की लानत

अब्दुर्रशीद खैरानी

अल्लाह तआला ने इन्सान को पैदा फरमा कर उसके मार्ग दर्शन के लिए अपने रसूल हजरत मुहम्मद सल्लाल्हु अलैहि व सल्लम को भेजकर उनपर अपनी किताब कुरआन मजीद नाजिल फरमायी। अल्लाह तआला ने अपनी किताब और रसूलुल्लाह सल्लुल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कथनों (हदीस) से व्याज के नुकसानात एवं हराम होने के बारे में साफ–साफ बयान फरमा दिये है। यह साफ व स्पष्ट बताया गया है कि सूद का करोबार हराम है और एकदम वर्जित है।

कुरआन मजीद की सूरः बकरः की आयत २७४ से २८४ तक में अल्लाह का फरमान है कि जो लोग अपना माल रात व दिन, खुले और छिपे खर्च करते है उनका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए किसी डर और रंज का कोई मौका नहीं मगर जो लोग सूद (व्याज) खाते हैं उनका हाल उस आदमी जैसा होगा जिसें शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, यह इसलिए कि वे कहते है कि व्यापार भी तो आखिर सूद जैसी चीज है हालांकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है और सूद को हराम! इसलिए जिस शख्स को उसके रब की तरफ से यह नसीहत पहुंचे और आगे के लिए वह सूद खोरी से रूक जाए तो जो कुछ वह पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है और जो इस हुक्म के बाद फिर उसी हरकत को दोहराए जहन्नमी है जहां वह हमेशा रहेगा, अल्लाह सूद (व्याज) का मुठ मार देता है और सदकों (दान) को बढ़ाता है चढ़ाता है और अल्लाह किसी ना शुक्रे गुनहगार को पंसद नहीं करता हां जो लोग ईमान लाएं और अच्छे कर्म करें और नमाज कायम करें और जकात दे उनका बदला निःसन्देह उनके रब के पास है और उनके लिए किसी डर और शोक का मौका नहीं।

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है उसको छोड़ दो अगर सचमुच तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमनें ऐसा न किया तो सचेत हो जाओं कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे विरूद्ध लड़ाई का एलान है। अब भी तौबा कर लो (और सूद खोरी छोड़ दो) तो अपना मूलधन लेने के तुम हकदार हो। न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाए। तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो तो फरागी तक उसे मोहलत दो और अगर सदका कर दो तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम समझो उस दिन की रूसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस होगे वहां हर आदमी को उसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर बिलकुल ही अन्याय न होगा।

(सूरः बकर आयत २७४ से ६८१)

सूरः आले इमरान की आयत नम्बर १३० से १३२ में हैः– ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। यह बढ़ता चढ़ता सूद (व्याज) खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, आशा है कि सफल (कामयाब) होगे! उस आग से बचो जो इन्कार करने वालों के लिए जुटाई गयी है और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करो, आशा है कि तुम पर मेहरबानी की जाएगी। (सूरः आले इमरान आयत १३० से १३२)

सूद (व्याज) के बारे में हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान व चेतावनियांः–

१. हजरत अबु हरैरह रजि यल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः– कि सात हलाक करने एवं तबाह करने वाले गुनाहों से बचोः– सहाबा रजि० ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सलल्लाहु अलैहि व सल्लम वा कौन से सात गुनाह है? फरमाया – १. अल्लाह के साथ शरीक करना, २. जादू करना, ३. नाहक किसी आदमी को कत्ल करना, ४. सूद (व्याज) खाना ५. यतीम का माल खा जाना ६. (अल्लाह की राह में) जिहाद में इस्लामी लश्कर का साथ छोड़कर भागना ७. पाक दामन और ईमान वाली भोली भाली निर्दोष औरतों पर तोहमत लगाना।

(सही बुखारी व सही मुस्लिम)

२. हजरत अबू हुरैरह रज़ि यल्लाह तआला अन्हू से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मेअराज वाली रात मेरा गुजर एक ऐसे गिरोह पर हुआ जिनके

पेट घड़ों के समान थे और उनमें सांप भरे हुए है जो बाहर से नजर आते है मैने जिबरइल (अलैहि) से पूछा कि ये कौन लोग है उन्होंने बतलाया कि ये सूदखोर लोग हैं।

(इब्ने माजा–मुसनद अहमद)

हजरत अबु हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि सूद खोरी के सत्तर हिस्से हैं जिनमें से सबसे हल्का गुनाह ऐसा है जैसे कि अपनी मां के साथ मुंह काला करना। (तफ्सीर इब्ने कसीर सुनने इब्ने माजा)

हजरत अनस इब्ने मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हू फरमाते है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें खुत्बा (तकरीर) सुनाया। जिसमें सूद के बारे में बताकर इसके गुनाह को बहुत ही बड़ा अजीम गुनाह बतलाया फिर फरमायाः–

सुनो! सूद (व्याज) का एक दिरहम लेना छत्तीस मरतबा जिनाकारी (व्यभिचार) से बढ़कर गुनाह है। साथ ही यह भी सुन लो कि सबसे बड़ा सूदखोर वह है जो किसी मुसलमान की आबरूरेजी (बेइज्जती) करे।

(इब्ने आबिद दुन्या)

हजरत जाबिर रजि० अन्हू ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत फरमाई–सूद लेने वाले और खाने वाले पर और सूद देने और खिलाने वाले पर और सूदी दस्तावेज (सूद से सम्बन्धित लिखा पढ़ी) लिखने वाले पर और उसके गवाहों पर आप स० अ० ने फरमाया कि (गुनाह की शिरकत में) में सब बराबर हैं।

(सही मुस्लिम)

हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी किसी को कर्ज बिना सूद दे तो अगर वह कर्जदार आदमी कर्ज देने वाले को कोई चीज बतौर हदिया (उपहार) दे या सवारी के लिए अपना जानवर (वाहन) पेश करे तो उसके इस हदिये को कुबूल न करें और उसके जान पर (वाहन) को सवारी में इस्तेमाल न करें किन्तु यदि इन दोनों के दरमियान पहले से इस तरह का ताल्लुक (सम्बंध) और मामला होता रहा हो।

(इब्ने माजा, बहैकी)

इस हदीस का पैगाम यह है कि सूद का मामला इतना गम्भीर और खतरनाक है कि यदि किसी मामले में थोड़ा भी शक या असमंजस हो तो उससे भी बचना चाहिए।

हजरत उमर बिन खत्ताब रदि यल्लाहु तआला अन्हू फरमाते है कि रिबा यानि, सूद वाली आयत आखिरी दौर में नाजिल होनो वाली आयतों में से है। रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि व सल्लम इस दुनिया से उठा लिये गये और आप स.अ. ने हमारे लिए इसकी पूरी तफसीर (व्याख्या) व तशरीह नहीं फरमाई इसलिए सूद बिलकुल छोड़ दो और इसके शुबहा और शाइबा (शक व सन्देह) से भी परहेज करो।

(इब्ने माजा, मुसनद दारमी)

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाह तअला अन्हू से रिवायत है कि रसूलल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि सूद (व्याज) चाहे कितना ही ज्यादा हो जाए लेकिन इसका आखिरी अंजाम किल्लत और कमी है। (मुसनद अहमद, इब्ने माजा, बैहकी)

इस हदीस से यह पता चलता है कि मौत के बाद आखिरत में यह देखने को मिलेगा कि जिन लोगों ने सूद (व्याज) के जरिए काफी धन दौलत इस दुनिया में कमाई और धनवान बन गये मगर आखिरत तें वो बिल्कुल मुफलिस (निर्धन) होंगे और उनकी सूदखोरी से कमाई गई दौलत उनके अजाब का कारण बनेगी, इसी तरह सूदखोरी से कमाई गई दौलत सूद खोर के लिए इस दुनिया में भी दुखदायी साबित होती है इसमें कोई शक नहीं है।

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि हर शख्स सूद खाने वाला होगा अगर खुद सूद न भी खाता होगा तो उसका गुबार जरूर उसके अन्दर पहुंचेगा।

(नसई, मुसनद, अहमद, इब्ने माजा, अबूदाऊद)

इस हदीस से रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मत को खबरदार किया है कि ऐसे बुरे वक्त में अपने आपकों सूद के बवाल से बचा कर रखें।

हजरत उबादा बिन सामित रदि अल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है कि रसूलल्लाह सलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि सोने की बिक्री सोने के बदले, और चांदी की चांदी के बदले, गेंहू की गेंहू के बदले और जौ की जौ के बदले और खजूरों की खजूरों के बदले और नमक की नमक के बदले बराबर यकसां और हाथों–हाथ होनी

चाहिए और जब चीजें विभिन्न जाति की हों तो जिस तरह चाहो विक्रय करो बशर्ते लेन देने हाथों–हाथ हो।

(सही मुस्लिम)

हजरत अबू सईद खुदरी रदि अल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है कि रसूलल्लाह सलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया सोने के बदले, और चांदी की चांदी के बदले, गेंहू की गेंहू के बदले और जौ की जौ के बदले और खजूरों की खजूरों के बदले और नमक की नमक दस्त ब दस्त बराबर बेचा करो और खरीदा करो। जिसने ज्यादा दिया या ज्यादा लिया तो उसने सूद का मामला किया। इसमें देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर हैं। (सही मुस्लिम)

हजरत अबू सईद खुदरी रजिअल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है कि एक बार हजरत बिलाल रदि अल्लाहु तआला अन्हू हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में बहुत अच्छी किस्म की खजूरें (बरफी खजूरें) लाए। आप स०अ०व० ने पूछा कि ये कहां से आई उन्होंने अर्ज किया कि हमारे पास घटिया किस्म की खजूरे थी मैंने वो दो साअ देकर एक साअ यह बरफी खजूरें खरीद ली। आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया– वो हो यह तो ऐन रिबा (व्याज) हुआ, आइन्दा ऐसा कभी न करो, जब तुम (खजूरों से) खजूरें खरीदना चाहों तो पहले अपनी खजूरें बेच दो फिर उनकी कीमत से दूसरी खजूरें खरीद लो। (सही बुखारी व मुस्लिम)

इस हदीस में बतलाया गया है कि कमी–बेशी के साथ चीजों का तबादला (लेन–देन) भी सूद के हुक्म में है। इससे भी अपने आपको बचाना चाहिए।

मुवत्ता इमाम मालिक और सुनने नसई में हजरत अता बिन यसार रह० ताबई से रिवायत है कि हजरत मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हू ने सोने या चांदी का एक प्याला (जग) उसी जिन्स (यानि सोना या चांदी) के उससे ज्यादा वजन के बदले में बेचा तो हजरत अबू दरदा रजियल्लाहु तआल अन्हू ने उनसे कहा कि मैंने रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना था आप स०अ०व० इस तरह की खरीद फरोख्त से मना फरमाते थे अगर बराबर बराबर पर हो (तो कोई हर्ज नहीं) तो हजरत मुआविया रज़ि० ने कहा कि मेरे नजदीक तो इसमें कोई मुजायका (हर्ज) और गुनाह की बात नहीं है। हजरत अबू दरदा रज़ि० अल्लाह तआला अन्हू ने सख्त नारजगी के साथ कहा कि मुझे मुआविया रज़ि० के बारे में मअजूर (मजबूर) समझा जाए मैं उनकों रसूलल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हुक्म बता रहा हूं और वह मुझे अपनी राय बताते हैं (इसके बाद खुद हजरत मुआविया रज़ि० से कहा) मैं तुम्हारे साथ उस सर जमीन में नहीं रहूंगा जहां तुम होगे। इसके बाद हजरत उबुदरदा मदीना शरीफ पहुंचकर हजरत अमर रजियल्लाहु तआला अन्हु से इस वाकिए का जिक्र किया तो हजरत उमर फारूक रजि० ने हजरत मुआविया रजि० को लिखा कि इस तरह की खरीदी–बिक्री न करो, सोना, चांदी वगैरह का उसी जिन्स से अदला बदली करना सिर्फ इस सूरत में जायज है कि दोनों तरफ वजन बराबर व यकसा हो। (मौता इमाम मालिक नसई)

इस हदीस पाक से यह उजागर होता है कि कुरआन व रसूलल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के हुक्मों और फरमानों में किसी भी शख्स की राय या सुझाव को कोई स्थान हासिल नहीं है कोई भी शख्स चाहे कितना ही बड़ा आलिम या बुजुर्ग हो उसको कुरआन व अल्लाह के रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के हुक्मों का पालन करना जरूरी है। हजरत मुआविया रजि अल्लाहु तआला अन्हू जैसे सहाबा (महान साथी) की राय को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान के सामने रद्द करना और फिर हजरत अबू दरदा रजियल्लाह तआला अन्हू का यह सुन कर सख्त दुखी और नाराज होना यह बताता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्मों और फरमानों और बतलाए हुए रास्तों की इताअत बिना किसी चूं–चिरा व बहम के करना हमारा फर्ज है।

यहां यह भी जान लीजिये कि व्याज खोरी और इसका लेन देन इतना सख्त गुनाह है कि कुराअन मजीद की सूरः बकरः की आयत २७६ में सूद को छोड़ने का हुक्म देते हुए फरमाया है कि "अगर तुम ने ऐसा नहीं किया तो सचेत हो जाओं कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे विरूद्ध लड़ाई का ऐलान है। यह धमकी सिर्फ व्याज खोरी के लिए ही आई है जबकि और गुनाह शराब, जुआं, जिना आदि भी बड़े गुनाह हैं मगर सूद लेने व देने और इसके करोबार में शामिल रहने वालों को अल्लाह और उसके रसूल स०अ० व० से लड़ाई की खबर दी गई है क्या कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल स०अ०व० से लड़ने की ताकत रखता है। हकीकत में नहीं। फिर भी सूदखोरी करना और बेमिसाल सूद लेना–देना और इसके कारोबार में सहायक बनते समय हम इसके बुरे अंजाम को ध्यान में क्यों नहीं लाते। अल्लाह ताआला से दुआ है कि सूद की लानत से हम सबकी हिफाजत करें। आमीन

●●●

भाषायी एकता में उर्दू का रोल

विश्वम्भर नाथ पांडे

सच्चा राही के जुलाई २००४ के अंक में विख्यात विचारक इलाहाबाद के पूर्व मेयर और उड़ीसा के गवर्नर रह चुके श्री विश्वम्भर नाथ पांडे के एक अंग्रेजी लेख का हिन्दी अनुवाद मुस्लिम शासकों की धार्मिक नीति शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। श्री पांडे राष्ट्रीय एकता के प्रबुद्ध पक्षधर और लेखक रहे हैं। राष्ट्रीय एकता की प्रम्परा पर उनका एक विस्तृत लेख है जिस पर आधारित उर्दू दैनिक, राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ ने अपने १० नवम्बर २००६ के अंक में एक सारगर्भित लेख प्रकाशित किया है। यहां उस लेखका हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया जा रहा है।

उर्दू जब दकन से चलकर दिल्ली आती है तो मुगलिया सलतनत कमाल की चरम सीमा तक पहुंचकर बड़ी तेजी के साथ नीचे उतर रही थी। भाइयों के बीच तख़्त व ताज की खातिर खाना जंगी (गृह–युद्ध) और ईरानी, तुरानी, अमीरों की खींच तान सल्तनत की बुनियादों को हिला रही थी। मराठे और अफगानी ऐसे धक्के दे रहे थे कि दीवारे और ईंटे गिरने लगी थीं। अजीब समा था। अकबर और शाहजहां के नाम लेवा लाल किले के महलों में दुनिया और माफीहा से बेखबर रंग रलियों में मसरूफ (व्यस्त) थे। तबलों की थाप घुंघरूओं की झनकार और शराब के प्याले चल रहे थे। उधर सलतनत के हिस्से बखरे हो रहे थे सूबे खुदमुख्तार, सूबेदार एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मरहटे, राजपूत, जाट और सिख एक दूसरे से जूझ रहे थे। सलतनत के लाश पर पुर्तगीज, वलन्देजी, फ्रांसीसी और अंग्रेज गिद्धों की तरह मंडला रहे थे। राजाओं और नवाबों की ऐश परस्ती (भोग–विलास) सैकड़ों शरीफ खानदानों की तबाही, जनता की बर्बादी और मुल्क की गारतगरी (विनाश) ने लोगों को निराश कर दिया था। इस फजा में दकन से उर्द आती है और शाही दरबार से जुड़ जाती है। यहां फारसी माहौल था। दरबार की भाषा फारसी, दफ्तर की भाषा फारसी, पदाधिकारियों (ओहदेदारों) की भाषा फारसी, उल्मा की भाषा फारसी–उर्दू, फारसी रंग में डूब गयी। दकन में जो उर्दू साहित्य तैयार हुआ था उसमें ठेठ हिन्दी नुमायां (सुस्पष्ट) थी। दिल्ली के ईरानी नस्ल के अमीरों और फारसी जुबान के माहिरों के कानों पर हिन्दी शब्द भारी मालूम हुए। मतरूकात (भारी मालूम हो रहे शब्दों का परित्याग) का सिलसिला जारी हो गया। मजहर जाने जाना ने पहल की। आतिश और नासिख ने आन्दोलन को तेज किया। उर्दू हिन्दी से दूर होने लगी। दकन में जिसे दखनी और हिन्दी कहते थे दिल्ली में जुबान उर्दू–ए–मअल्ला के नाम से मशहूर हुई सन् सत्तावन की आंधी के बाद अंग्रेजों ने उर्दू को मुसलमानी जुबान बना दिया। और १८५७ ई० के हंगामों को मुसलमानों के सर थोपा गया, मुसलमानों को नीचा दिखाने की कारवाइयां जारी हुई। बिहार के अंग्रेज गवर्नर ने शहरों का दौर किया और उर्दू के खिलाफ धुंवाधार लेकचर दिये। अंग्रेज विद्वानों ने हिन्दुस्तानी भाषाओं की ग्रामर लिखी और साबित करने की कोशिश की कि उर्दू किसी इलाक़े की भाषा नहीं। मुल्की भाषा तो ब्रज भाषा, रास्थानी, अवधी आदि है। अंग्रेजी सियासत का जादू चल गया। उर्दू मुसलमानों की जुबान और हिन्दी हिन्दुओं की जबान करार पायी। १८७२ के बाद अंग्रेजों की सियासत बदली। १८८२ में उत्तर प्रदेश में मैकडोनल की गवर्नरी के जमाने में हिन्दी उर्दू का झगड़ा बढ़ा। साम्प्रदायिक भावनाओं की हवायें चलने लगीं। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।

अब हमारे बुनियादी दस्तूर ने यह निर्णयक फैसला दे दिया है, हिन्दी को सरकारी जुबान के मर्तबे पर पहुंचा दिया है। उर्दू को मुल्की जुबान की सूची में शामिल कर लिया है। समय आ गया है कि अअस्सुब से दूर हट कर हक़ीक़त को सामने रखा जाये। पहली बात तो यह है कि उर्दू और हिन्दी दरअसल दो जुदा जुदा जुबाने नहीं हैं। भाषा विज्ञान की कसौटी पर परखिये तो कोई उसूली फर्क नजर नहीं आता। जुबान की हस्ती तीन चीजों पर काईम है। आवाज या धुन, रूप और शब्द। उर्दू और हिन्दी शब्दों की तरकीब (रचना) एक तरह की आवाज से हुई है। दोनों की ग्रामर एक है। दोनों एक ही खानदान से तअल्लुक रखती हैं। दोनों आर्याई जुबान हैं।

फिरादौसी के शाहनामें की जुबान का खाकानी के कसीदों की जुबान से मुकाबला कीजिए जमीन आसमान का फर्क नजर आयेगा। यही कैफियत नस्र (गद्य) की है। रवीन्द्र नाथ टैगोर की जुबान अवाम की बोल चाल की जुबान है। और नजरूल इस्लाम की शायरी पर फारसी का साया है।

हिन्दी उर्दू का भी यही हाल है। नागरी प्रचाराणी सभा बनारस की हिन्दी डिक्शनरी में छः हजार फारसी व अरबी के शब्द हैं। लोगाते आसफिया में ७५ प्रतिशत से अधिक उर्दू के वह शब्द हैं जिन का स्रोत संस्कृत है। हिन्दी और उर्दू की पैदाइश एक जगह हुई और दोनो एक मां की बेटियां हैं। हां, अब दोनों की अलग अलग निश्चित और सहित्यिक हैसियत है। हैरत की बात है कि बाज लोग कहते हैं कि उर्दू अजनबी जुबान हैं जिसका मुल्क में कोई ठिकानों नहीं। वह भूल जोत है कि उर्दू खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। और खड़ी बोली उस इलाके की जुबान है जिसका केन्द्र दिल्ली है।

यह कहना कि उर्दू का कोई मसकन (घर) नहीं और यह कि वह किसी इलाकः की जुबान नहीं, एक खुली हुई हकीकत से इन्कार करना है। जो बच्चे उस इलाकः में रहते हैं जहां खड़ी बोली का चलन है और वह बच्चे जिनके घर में खड़ी बोली बोली जाती है कानूनी हक रखते हैं कि अपनी मातृ भाषा में अपनी प्रारम्भिक शिक्षा हासिल करें और इस हक से इन्कार देश के बुनियादी कानून की तौहीन है। उर्दू के साथ, हिन्दी का ऐसा बर्ताव हिन्दुस्तान की अन्य प्रान्तीय भाषाओं को चौकन्ना कर देता है। यह लाज़िम है कि उर्दू की जो निश्चित हैसियत हिन्दुस्तान के दस्तूर (संविधान) में है उसकी दफा ३४७ के आलोक में उसे जो हक पहुंचता है वह उसे मिलना चाहिए। उर्दू को मुसलमानों के साथ निस्बत दी जाती है। इस विचार का बीज अंग्रेजों ने बोंया। मुस्लिम लीग ने इस पौदे को सींचा और परवान चढ़ाया। अरबी को अगर इस्लामी जुबान कहें तो बजा समझा जायेगा। हालांकि यह भी सही नहीं है। इस्लाम के जुहूर (अभ्युदय) से पहले गैर मुस्लिम अरबों की जुबान अरबी थी। लाखों ईसाई जो लेबनान, सीरिया, मिस्र आदि मुल्कों में रहते हैं, अरबी जुबान बोलते हैं। अरबी में बाइबिल पढ़ते हैं। दुनिया में कौन सी भाषा है जो मुसलमानों की भाषा नहीं? चीन के करोड़ों मुसलमान चीनी, इन्डोनेशिया के मलय, बंगाल के बंगला, मद्रास के तामिल , केरल के मलयाली, गुजरात के गुजराती और महाराष्ट्र के मराठी जुबान बोलते हैं। अरबी बोलने वाले मुसलमान तो दुनिया में शायद दस प्रतिशत से अधिक नहीं मिलेंगे। उर्दू तो इसी सरजमीन की पैदावार है जिसे गंगा–जमुना की नदियां सैराब करती है, सींचती है। यही सही है कि मुसलमान सूफियों, दूरवेशो और शायरों ने उर्दू का सिंगार किया। (श्रंगार किया) सैकड़ों हिन्दू साहित्यकारों ने भी उर्दू को संवारने में हिस्सा लिया। अगर उर्दू में इस्लामी मजहब और कलचर पर किताब लिखी गयी तो आप को हिन्दू मजहब और कलचर की भी उर्दू में काफी किताबें मिलेंगीं। उपनिषद, भगवत गीता, भागवत पुराण, कालीदास के नाटक, बैनाल पचीसी, सिंहसन बतीसी, पदमावत, किस्से कहानियां लीलावती, वैदिक गणित, ग़र्ज मुश्किल से कोई हिन्दु मजहब और साहित्य का संकाय होगा जिसमें उर्दू की किताबें न हों। उर्दू तो असल में हिन्दुस्तान की भाषा है। इसका गुजरा हुआ काल और वर्तमान, हिन्दुस्तान से अलग नहीं हो सकता। इस के इतिहास में हिन्दु–मुसलमानों के मेल जोल की कहानी है इसमें हिन्दू–मुसलमानों सन्तों ने उपदेश दिया है। साधु दरवेशों ने इश्वर प्रेम का सन्देश दिया है। शायरों ने इसमें वतन के शहीदों के लिए आंसू गिराये। देश भक्तों के दिलों को हिलाने वाले गीत गाये। इन्सान के दिल की गहराई की खोज की और इसकी उड़ान का अन्दाजा लगाया। हुस्न और इश्क की तस्वीरे खींची। मुहब्बत के राग अलापे। हंसाया भी, रूलाया भी। वह किस तरह हम से जुदा हो सकती है। इस का भविष्य भारत से जुड़ा है। पाकिस्तानी प्रान्तों की बोल चाल की जुबान पंजाब में पंजाबी, सिन्ध में सिन्धी, बलोचिस्तान में बलोची, सूबा सरहद में पशतू है। वहां कहीं भी बोलचाल की जुबान उर्दू नहीं। बेशक उत्तर प्रदेश और बीहार से जो लोग वहां गये हैं। उनकी जुबान उर्दू है। उर्दू हिन्दुस्तान की बेटी है। यहीं यह पैदा हुई। इसकी रंगों में संस्कृत और प्राकृत का खून बहता है। यह यहीं फली फूली। इसके बदन में लोच है। चाल में इठलाहट है। इसे देखकर लोगे झूमते हैं। मुशायरों में सुनने वाले इसके बोल सुनकर मस्त हो जाते है। सर घूमते है। इसके सामने एक सुन्दर, रौशन और बेपाया (विशाल) मैदान है। हिन्दुस्ताप की पन्द्रह भाषाओं में यह

(शेष पृष्ठ १८ पर)

कहानी परी की

अबू मर्गूब

मेरे महल्ले मे हर जुमेरात की शाम को एक औरत के दरवाजे पर खासी भीड़ जमा हो जाती। वैसे हर शाम दो चार लोग आ जाते एक शाम उधर से मेरा गुजर हुआ तो अच्छे लोबान की बेहतरीन खुशबू आ रही थी, और लोगों की भीड़ जमा थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे, मैने जरा आहिस्ता चलते हुए उनकी बात चीत की जानिब कान लगा दिया, एक साहिब कह रहे थे: दीनदार परी है, गैर मर्दों के सामने चेहरा नहीं खोलती, दूसरे साहिब बोले हां चेहरा तो गैर मर्दों के सामने बन्द कर लेती है मगर बाल खुले रहते हैं। तीसरे ने कहा बाल से क्या होता है, मुंह तो नहीं दिखाती।

मैं आगे बढ़ गया और एक शागिर्द को भेजा कि देखकर आये कि क्या हो रहा है। मेरा शागिर्द गया और दूसरे दिन आकर बड़ी लम्बी रिपोर्ट दी कि एक नव जवान औरत है। मालूम हुआ कि कुछ पढ़ी भी है, बाप भाई नहीं है सिर्फ मां है। वह थर्राई हुई आवाज में खींचकर ''लाइलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसुलुल्लाह'' पढ़ती है। और आगे पीछे हिलती जाती है सर खुला है बाल बिखरे हैं। उसकी मां उसके बगल में बैठी हुई है दो तीन लड़कियां उसके पास बैठी है आने वालों को नम्बर तक्सीम हैं। हर शख्स अपने नम्बर पर आता है, साथ में कोई हदया भी लाता है। लोगों का कहना है इस पर परी सवार है और वह सिर्फ खुश्क मेवो का हदीया कबूल करती है। कोई बादाम लाता है कोई अखरोट, तो कोई पिस्ता तो कोई चिलगोजा।

उन लड़कियों ने एलास्टिक डोर में एक बालिश्त चौड़ा दो बालिश्त लम्बा सुर्ख रेशमी कपड़ा बांध रखा है, जब वह किसी मर्द को आते देखती हैं तो जल्दी से पेशानी पर से यह कपड़ा लटका देती हैं जब कि सर खुला रहता है। फिर आने वाला अपनी मुश्किलात बयान करता है। वह कहती है एक मुर्गा जब्ह करके, पकवा कर मस्जिद के इमाम व मुअज्जिन की दअवत कर दो तुम्हारा काम बन जाएगा, कभी कहती है जुमेरात को रोजा रखो तुम्हारा काम हो जाएगा। लोग बहुत खुश लौटते है कि देखो यह परी सच्ची है। न टोटका करवाती हे न शराब मंगवाती है। जब कोई औरत आती है तो परदा नहीं करती। औरतों को आम तौर से रोजा रखने का मश्वरा देती है और कहती है कि इतने रोजे रखो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। शागिर्द ने बताया कि वहां बैठे एक गैर मुस्लिम ने बयान किया कि कुत्ब पूर में एक औरत पर जिन आते हैं। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, अस्ल में मेरी शादी हुए दस साल हो गये हैं अभी मेरे यहां कोई सन्तान नहीं आई इसलिये हम दोना (मियां, बीवी) बहुत परेशान रहते हैं जहां जो बताता है दौड़े चले जाते है। कुत्ब पूर भी गये। एक औरत सर के बाल बिखेरे आगे पीछे दायें बायें हिल रही थी। बहुत से नवजवान इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मैं हाजिर हुआ और अपनी मुश्किल बयान करना चाहा कि एक डान्ट पड़ी बे अदब सज्दा कर! मैं सज्दे में गिर गया और रोने लगा, उसने कहा सर उठा क्या बात है औलाद चाहता है? मैंने कहा जी हुजूर, और हैरत में पड़ गया कि इनको कैसे पता चल गया। मेरे शागिर्द ने उससे पूछा, क्या उस औरत के सामने आने से पहले आपने अपनी येह हाजत किसी से बताई थी? उन्होनें बताया कि उस औरत के यहां तो किसी से बताया नहीं अल्बत्त जिस गली से उसके घर की जानिब मोड़ है वहां एक साहिब खड़े थे मैंने उनसे जिन वाली औरत के घर का पता मअलूम किया था तो उन्होंने पूछा था खैरियत तो है, क्या काम है? तो उन से मैंने बता दिया था। उन्होनें रास्ता भी बताया और जिन बाबा की बड़ी तअरीफ की और यह भी सिखाया कि अपने नम्बर पर उनके दाहिनी जानिब से जाना।

शागिर्द ने पूछा फिर क्या हुआ? उसने कहा कि अपनी स्त्री से पूछना उसने एक बार कोठे पर पेशाब किया उस जगह एक परी बैठी हुई थी उस पर पेशाब पड़ गया वह खफा हो गई। वही सन्तान पैदा होने में रोक लगाए हुई है। अब तुम एक किलो देसी घी का लड्डू बनवाकर यहां लाओं साथ में एक सफेद मुर्गा लाओं मैं उस को पेश कर के उसको राजी करूंगी कि वह रूकावट न डाले और सुनो उसकी सवारी जब तक खुश न होगी तुम्हारा काम न बनेगा। उसकी सवारी को एक बोतल शराब और तीन उबले अन्डे फुलां चौराहे पर (चौराहे का नाम लिया) तीन बजे रात में रखो।

शागिर्द ने पूछा फिर क्या हुआ? उसने बताया कि घर जाकर मैंने अपनी पत्नी (बीवी) से वह बात पूछी तो उसने इन्कार किया। फिर वह ध्यान देती रही बड़ी देर बअद उसने बताया कि चार साल पहले मैं अपनी मौसी के घर

गई थी तब ऐसा हुआ था। फिर तो मुझे यकीन हो गया कि जिन बाबा ने सच कहा। बस मैं श्रीराम रोड पर मजार वाली हल्वाई की दुकान से एक किलो देसी घी के लड्डू लाया, नख्खास से एक उजला मुर्गा लाया और दूसरे दिन जिन्नात बाबा के यहा हाजिरी देकर प्रस्तुत कर दिया और बचन दिया (वअदा किया) कि इसी रात तीन बजे दारू और अन्डे उस परी की सवारी के लिए रख आऊंगा। जिन बाबा उस औरत के मुख से बोले : यह लड्डू मेरी सवारी का हक है और मुर्गा मेरे और उस परी के लिए है अब तुम्हारा काम बन जाना चाहिए लेकिन अगर वह परी न मानी तो फिर बताऊंगा। मैंने बताए हुए चौराहे पर सामान पहुंचा दिया, साल बीत गया मेरा काम न हुआ। मैं फिर हाजिर हुआ तो उस ने कहा तुम कहां चले गये थे, तुम आते तो मैं बताता तुम्हारी वह दारू शुद्ध (साफ सुथरी) न थी इसलिये उस परी ने उसे स्वीकार (कबूल) न किया और फिर जिन बाबा ने कई सौ का लटका बता दिया, उसे भी मैंने किया, फिर साल बीत गया मेरा काम न हुआ। अब मैं इस परी के यहां आया हूं। मुझे तो वह जिन बनावटी लगा मगर यह परी ठीक मालूम होती है। यह कहानी सुनकर मेरे शागिर्द ने बताया कि मियां यह परी भी झूठी है, तुम कल मेरे उस्ताद से मिलो वह तुम को सहीह मश्वरा देगे।

इस रिपोर्ट के बअद मैंने इरादा किया कि कल शाम उस परी को मैं भी देखूंगा। उसके यहां शाम ही को मेला लगता था।

दूसरे दिन सुब्ह को वह गैर मुस्लिम भाई मेरे पास आया। मैंने उसे अपने एक दोस्त डाक्टर के पास भेज दिया। डाक्टर ने स्पर्म टेस्ट लिखा शाम पांच बजे वह आदमी स्पर्म टेस्ट रिपोर्ट लेकर मेरे पास आया मैंने उसे फिर डाक्टर के पास भेज दिया और मैं अपने शागिर्द के साथ परी वाली औरत के यहां पहुंच कर नम्बर ले लिया। नम्बर आने पर हम दोनो हाजिर हुए, मैं बहुत ही सादे और मअमूली कपड़ों में था, शागिर्द को अच्छे कपड़े पहना रखे थे। मैं भोला बूढ़ा बन गया। हम लोगों को देखते ही उसके चेहरे पर पर्दा आ गया। मेरे शागिर्द ने सुवाल किया हुजूर आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती?

परीः मैं मुसलमान परी हूं गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती।

शागिर्दः हुजूर आप तो पढ़ी लिखी मअलूम होती हैं? आप ने क्या क्या पढ़ा है?

परीः सब कुछ पढ़ा है, तभी तो पर्दा करती हूं। तुम अपना मतलब बताओ क्यों आए हो?

अब मुझसे न रहा गया मैंने कहा परी साहिबा जरा बताइये कि पर्दा किस आयत से साबित होता है?

परीः बकवास मत करो अपना मतलब कहना हो कहो वर्ना जाओं यहां से दूसरों को आने दो।

मैंः बेटी कुछ पढ़ी हो और कुछ अक्ल है तो यह ढोंग मत रचाओं, मैं तुम्हारी मदद को तय्यार हूं।

परीः (अपनी मां से मुखातब होकर) अम्मां इन को यहां से हटाइये दूसरों का हरज हो रहा है।

मैंः बेटी मै खुद हट जाऊंगा मगर मैं बताता हूं कि तुम पर कोई परी वरी नहीं है, तुमने किसी सबब से यह ढोंग रचाया है, देखो तुम को इतना भी नहीं मअलूम है कि पर्दा कैसे होता है। चेहरा ढके, बाल खोले यह कौन सा पर्दा है? (पास की लड़कियों ने उसे चुपके से बताया कि यह तो नदवे के मौलाना साहिब हैं)

परीः (पास बैठी लड़कियों से) लोगों से बता दो कि आज मुझे कोह काफ जाना है अब तुम लोग कल आना (यह कहकर वह जल्दी से कमरे में चली गई)

दूसरे दिन वह गैर मुस्लिम आदमी आया उसने बताया कि डाक्टर साहिब ने बताया है कि तुम्हारे स्पर्म के कीड़े बहुत कमजोर है इसीलिये औलाद नहीं होती तुम को कम से कम लग कर तीन माह तक दवा खाना है। मैनें उसको समझाया कि जिन, परी, ओझा आमिल के धोखे में मत आओं लगकर इलाज करो उम्मीद है कि ठीक हो जाओगे फिर औलाद पा सकोगे।

दूसरे दिन उस लड़की का परचा आया जिस में लिखा था कि मौलाना साहिब आपकी बात से मैं झूठी बहुत शर्माई और बहुत डरी, रात भर कमरे में रोती रही। मैं अपनी बात किसी से कह नहीं सकती न मेरा बाप है न भीाई मगर मेरा रब तो है आप से सिर्फ दुआ चाहती हूं और अब वह परी कोहे काफ से इन्शा अल्लाह न लौटेगी।

परचा पढ़कर मेरे दिल व दिमाग ने जो समझा मैंने भी उसे किसी पर जाहिर न किया। वह मेरा शागिर्द जो बड़ा जहीन, नेक, मेहनती था आलिमीयत के आखिरी साल में था, वह भी तो बे मां बे बाप के था, कोई बहन भी न थी, मैंने उससे जिक्र किया कि क्यों न उस परी को तुम्हारा पैगाम भेज दिया जाए? वह खामोश रहा। मैंने एक जरीअे से पैगाम भेजा कुबूल हो गया। निकाह हो गया मेरा शागिर्द उसी लड़की के घर पर रहता है और मदरसे में पढ़ाता है। मां, बेटी, मेरा शागिर्द तीनों खुश हैं।

बराहे करम इस किस्से को फर्जी जाने और आप अपने गिर्द वह पेश में जिन व परी वाली औरतों और धोखेबाज ओझाओं, आमिलों और तात्रिंकों को परखे और लोगों को उनके धोखों से बचाऐं।

●●●

हज़रत असमा बिन्त अबू बक्र सिद्दीक़

तालिब हाशिमी

जिस रात अल्लाह के रसूल (सल्ल०) हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) के साथ मक्का मुअज्जमा से हिजरत करके गारे सौर में तशरीफ ले गये थे, उस रात मक्का के मुशरिकीन आप (सल्ल०) के घर के चारों ओर घेरा डालकर बैठे थे और इस बात की प्रतीक्षा में थे कि आप (सल्ल०) बाहर आए और वे अपनी नापाक योजना में सफल हों। लेकिन आप (सल्ल०) सूरह यासीन की आरंभिक आयतों की तिलावत करते हुए उनके बीच से निकल गये। अल्लाह ने उन लोगों की आंखों पर परदा डाल दिया था। प्रातः जब उन्होंने आप (सल्ल०) के बिस्तर पर हजरत अली (रजि०) को सोया हुआ देखा तो सर पीट कर रह गये। अबू जेहल तो अपनी इस नाकामी पर जल भुनकर रह गया और सीधा हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) के घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। अन्दर से एक नवजवान लड़की बाहर आयी। अबू जेहल ने कड़क कर पूछाः

"लड़की, तेरा बाप किधर है?"

"मैं क्या बता सकती हूँ"

यह सुनकर अबू जेहल ने उसके चेहरे पर इस जोर का थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली टूट कर दूर जा पड़ी। वह लड़की खामोशी से अन्दर चली गयी। अबू जेहल कुछ देर बकता झकता रहा और फिर वापस चला गया।

जिस लड़की ने अबू जेहल के गुस्से की कोई परवाह न की और हिजरत के राज को अपने दिल में छिपाये रखा, वह थीं हजरत असमा (रजि०)

हजरत असमा (रजि०) हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) की बेटी हजरत आइशा (रजि०) की बड़ी (सौतेली) बहन और हजरत अब्दुल्लाह (रजि०) की सगी बहन थीं। इस्लाम स्वीकार करने वालों में उनकी शख्सियत १८ वीं थी। आपकी शादी हजरत जुबैर बिन अव्वाम (रजि०) से हुई जो कि असहाबे अश्र–ए–मुबश्शरा में से एक है।

हिजरत की रात में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) अपने घर से निकलकर सीधे हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) के घर पहुंचे। हजरत अबू बक्र (रजि०) ने हजरत असमा और हजरत आइशा (रजि०) के साथ मिलकर तुरंत सफर का सामान तैयार किया।

हजरत असमा (रजि०) ने दो तीन दिन का खाना पहले ही से तैयार कर रखा था। उसे एक थैले में डाला और एक मशकीजें में पानी भरा। लेकिन थैले और मशकीजे का मुंह बांधने के लिए उनके पास रस्सी नहीं थी। समय का एक–एक पल कीमती था। हजरत असमा (रजि०) ने तुरंत अपना कमरबन्द खोला, उसके दो टुकड़े किये। एक से थैले का मुंह बांधा और दूसरे से मशकीजे का। आप (सल्ल०) को जब इसका पता चला तो बहुत खुश हुए और उन्हें "जाते नताकैन" (कमरबन्द वाली) की उपाधि से सम्मानित किया।

हिजरत वाली सुबह को जब अबू जेहल बकता–झकता वहां से चला गया तो हजरत अबू बक्र (रजि०) के पिता अबू कहाफा जिन्होंने उस समय तक इस्लाम स्वीकार नहीं किया था और जो नाबीना थे, ने हजरत असमा (रजि०) से पूछाः

"बेटी अबू बक्र ने तुम्हें दोहरी मुसीबत में डाला है। खुद भी चला गया और सारा माल भी साथ ले गया।"

और यह बात सही भी थी। हजरत अबू बक्र (रजि०) घर में रखी हुई सारी रकम साथ ले गये थे। लेकिन हजरत असमा (रजि०) को अपने बूढ़े और नाबीना दादा का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होनें कहाः

"नहीं दादा जान! अब्बू ने हमारे लिए अच्छी खासी दौलत छोडी है।"

फिर उन्होंने एक कपड़े में कुछ पत्थर डाले और उसे एक जगह रख दिया जहां हजरत अबू बक्र अपना माल रखा करते थे। उसके बाद वे अबू कहाफा का हाथ पकड़ कर वहां ले गयी और कहाः

"दादा जान, आप हाथ लगा कर देख लें, यह क्या रखा है?"

अबू कहाफा ने उस कपड़े की पोटली पर हाथ रखा और संतोष की सांस ली और कहा।

"अबू बक्र ने अच्छा किया। तुम्हारे लिए काफी इन्तिजाम कर गया।

हिजरत के कुछ महीने बाद आप (सल्ल०) ने हजरत जैद बिन हारिस (रजि०) और हजरत अबू राफे (रजि०)

को मक्का भेजा कि वे आपके घरवालों को मदीना ले आएं। हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने भी उनके साथ अब्दुल्लाह बिन उरैकित (रजि०) को अपने बेटे अब्दुल्लाह के नाम खत देकर भेजा कि वे अपनी अम्मी उम्मे रूमान और दोनों बहनों–हजरत असमा (रजि०) और हजरत आइशा (रजि०) को मदीना ले आएं।

अतएव हजरत जैद (रजि०) और हजरत अबू राफे (रजि०) के साथ उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा (रजि०) हजरत फातिमा (रजि०) हजरत फातिमा (रजि०), हजरत उम्मे कुलसुम (रजि०), हजरत उम्मे ऐमन (रजि०) और उसामा बिन जैद (रजि०) मदीना आ गये।

और हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र (रजि०) के साथ हजरत उम्मे रूमान (रजि०) और हजरत अस्मा (रजि०) और हजरत आइशा (रजि०) मदीना आ गईं।

खुदा का करना हिजरत के बाद काफी दिनों तक किसी मुहाजिर के यहां कोई औलाद न हुई। इसी लिए मदीना के यहूदियों ने यह मशहूर कर दिया कि हमने जादू कर दिया है। अब किसी मुसलमान के यहां बच्चा पदा नहीं होगा।

लेकिन सन एक हिजरी में हजरत असमा (रजि०) के घर में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०) पैदा हुए। हिजरत के बाद मुसलमानों के यहां पहला बच्चा पैदा हुआ था। मुसलमानों को उनके जन्म पर बहुत खुशी हुई। स्वयं हजरत असमा (रजि०) बच्चे को गोद में लेकर आप (सल्ल०) की सेवा में उपस्थित हुई। आप सल्ल० ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और बच्चे के लिए खैरो बरकत की दुआ फरमायी।

मदीना मुनव्वरा में शुरू के कुछ साल हजरत असमा (रजि०) के बहुत तंगी में गुजरे। उस जमाने में उनके पति हजरत जुबैर (रजि०) बहुत ही गरीब और तंग हाल थे। उनके पास ले–देकर एक घोड़ा और एक ऊँट था। स्वयं हजरत असमा (रजि०) के शब्दो में:

" जब जुबैर (रजि०) ने मुझसे निकाह किया, उस समय न तो उनके पास जमीन थी, न गुलाम, और न कुछ सिवाय एक ऊंट और एक घोड़े के। मैं उनके घोड़े को दाना खिलाती थी, पानी भरती थी, डोल (मशक) सीती थी, आटा गुंधती थीं, अंसार की कुछ महिलाएं जो मेरी पड़ोसी थी, रोटी पका देती थी, वे औरतें मुख्लिस थीं। मैं जुबैर (रजि०) की जमीन से जो उन्हें अल्लाह के रसूल (रजि०) ने अता फरमाया थी, सर पर गुठलियां रखकर लाती थी। यह जमीन मेरे घर से तीन 'फरसख (दूरी की इकाई) दूर थी।

शुरू–शुरू में हजरत असमा (रजि०) हर चीज नाप तौल कर खर्च किया करती थीं। जब आप (सल्ल०) को इसका पता चला तो आप सल्ल० ने हजरत असमा (रजि०) से कहा:

"असमा नाप–तौल कर मत खर्च किया करो, अन्यथा अल्लाह तआला भी नपी तुली रोजी देगा।"

हजरत असमा (रजि०) आप सल्ल० की बात पर अमल करने लगी और खुले दिल से खर्च करने लगी। अल्लाह का करना हजरत जुबैर (रजि०) की आमदनी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उनके घर में दौलत की रेल–पेल हो गयी। लेकिन खुशहाली के बाद भी जीवन–शैली में कोई खास बदलाव नहीं आया। रूखी–सूखी मोटी रोटी खातीं और मोटे–झोटे कपड़े पहनती।

अपने बच्चों को हमेशा हिदायत करतीं कि माल जमा करने के लिये नहीं होता बल्कि जरूरतमंदों की सहायत के लिए होता है।

हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०) का बयान है कि मैंने अपनी मां से बढ़कर किसी को सखी नहीं देखा।

एक और रिवायत में वे कहते है कि मैंने अपनी खाला हजरत आइशा (रजि०) और अपनी मां हजरत असमा (रजि०) से ज्यादा सखी किसी को नहीं देखा। अंतर यह था कि हजरत आइशा (रजि०) जरा जरा जोड़ कर जमा करती थीं और जब कुछ रकम जमा हो जाती थी तो सब की सब राहे खुदा में लुटा देती थी और हजरत असमा (रजि०) जो कुछ पाती थीं उसी वक्त बांट दिया करती थीं।

हजरत असमा (रजि०) का हाथ बहुत खुला हुआ था। लेकिन हजरत जुबैर (रजि०) के मिजाज में सख्ती थी। हजरत असमा (रजि०) ने एक दिन अल्लाह के रसूल सल्ल० से पूछा:

" या अल्लाह के रसूल सल्ल० क्या मैं पति के माल में से उनकी अनुमति के बिना यतीमों और मिस्कीनों को कुछ दे सकती हूं?"

आप सल्ल० ने फरमाया: "हां दे सकती हो।"

एक दिन हजरत असमा (रजि०) की मां कतीला उनके पास आयीं। (उन्होंने इस्लाम कुबूल नहीं किया था इसीलिए हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने उनको तलाक दे दी थी)

और हजरत असमा (रजि०) से कुछ मदद मांगी। हजरत असमा (रजि०) उनकी मदद करनाचाहती थीं लेकिन चूंकि उनकी मां मुसलमान नहीं हुई थीं इसलिए उन्हें कुछ झिझक थी। उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से इस सिलसिले में पूछाः

"या अल्लाह के रसूल सल्ल० मेरी मां मुशरिक है और वह मुझसे रूपये मांगती हैं। क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूं?"

आप सल्ल० ने कहा : "हा"

(बुखारी)

एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्ल० ने फरमायाः "अल्लाह तआला सिला रहिमी से नहीं रोकता।

एक बार हजरत असमा (रजि०) की मां कतीला उनके लिए कुछ तोहफे लेकर आयीं। हजरत असमा (रजि०) को अपनी मुशरिक मां के तोहफे लेना और उन्हें अपने मकान में ठहराने में कुछ झिझक हुई। अतएव उन्होंने हजरत आइशा (रजि०) के जरिये अल्लाह के रसूल सल्ल० से मालूम किया कि ऐसे मौके पर मेरे लिए क्या हुक्म है?

आप सल्ल० ने फरमायाः "उनके तोहफ़े कूबूल करो और उनको अपने घर में मेहमान रखो।"

(मुसनद अहमद)

हजरत असमा (रजि०) ने अपनी जिन्दगी में कई हज किये। रिवायतों में आता है कि उन्होंने पहला हज अल्लाह के रासूल सल्ल० के साथ किया था।

आप सल्ल० के इन्तिकाल के बाद एक बार हज के लिए गयीं। मुजदलिफा में ठहरी तो रात की नमाज पढी। चांद डूबने के बाद 'रमी' के लिए गयीं और फिर सुबह की नमाज पढ़ी। गुलाम, (जो उनके साथ था) ने कहा, "आपने बड़ी जल्दी की है।" उन्होंने जवाब दिया, "आप सल्ल० ने परदानशीनों को इसकी अनुमति दी है।

जब हज कर रही होती तो कहती "हम अल्लाह के रसूल सल्ल० के यहां ठहरे थे। उस वक्त हमारे पास बहुत कम सामान था। हमने आइशा (रजि०) ने और जुबैर (रजि०) ने उमरा किया था।

हजरत असमा (रजि०) बहुत निडर और बहादुर महिला थी। आप सल्ल० के इन्तिकाल के बाद वे अपने पति और बेटे के साथ सीरिया तक गयी थीं और यरमूक की भयानक जंग में भाग लिया था।

हजरत असमा (रजि०) के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०) की शख्सियत इस्लामी इतिहास में बहुत ही अहम है। इमाम हुसैन (रजि०) की शहादत के बाद भी उन्होंनें बनू उमैया की खिलाफत कुबूल नहीं की और लगातार संघर्ष करते रहे। सन् ६६ हिजरी में इराक और हिजाज के लोगों ने उन्हें सर्वसम्मति से अपना खलीफा निर्वाचित किया। सन ७३ हिजरी तक वे मक्का मुअज्जमा के खलीफा रहे। इन ६ वर्षों में वे दो महाजों पर लड़ते रहे। एक ओर मुखतार बिन अबी उबैद सकफी की जबरदस्त जमाअत थी तो दूसरी ओर बनू उमैया की शक्तिशाली हुकूमत।

जब अब्दुल मलिक बिन मरवान गद्दी पर बैठा तो उसने तहैया कर लिया कि वह अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०) की खिलाफत खत्म करके ही दम लेगा। अतएव उसने हज्जाज बिन युसुफ के नेतृत्व में एक जबरदस्त सेना भेज दी। हज्जाज ने मक्का मुअज्जमा को घेर लिया। घेराव इतना सख्त था कि अनाज का एक दाना भी अन्दर नहीं जा सकता था। तंगी से परेशान होकर अक्सर लोगों ने हजरत अब्दुल्लाह (रजि०) का साथ छोड़ दिया। जब गिनती के कुछ ही साथी रह गये तो वे अपनी मां हजरत असमा (रजि०) की सेवा में उपस्थित हुए और कहाः

"अम्मा जान् मेरे साथियों ने बेवफाई की है। अब सिवाय कुछ लोगों के कोई भी मेरा साथ देनो पर अमामदा नहीं। आपकी क्या राय है? यदि हथियार डाल दूं तो ही सकता है कि मुझे और मेरे साथियों को अमान मिल जाए।"

"ऐ मेरे बेटे। यदि तुम हक पर हो तो मर्दों की तरह लड़कर शहादत का दर्जा पाओ और किसी किस्म की जिल्लत सहन न करो। और यदि तुम्हारा मकसद दुनिया हासिल करना था तो तुम से बुरा कोई शख्स नहीं जिसने अपनी आकबत भी खराब की और दूसरों को भी हिलाकत में डाला।"

हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०) ने जवाब दिया, "अम्मा जान् मैंने हक और सच्चाई के लिए साथियों को लड़ाया। अब आप से विदा लेने आया हूं।"

हजरत असमा (रजि०) ने कहाः "यदि तुम हक पर हो तो परिस्थितियों के प्रतिकूल होने और साथियों की बेवफाई के कारण दुश्मनों से दब जाना शरीफों और दीन–दारों का शैवा नहीं।

"अम्मा जान! मैं मौत से नहीं डरता। सिर्फ यह ख्याल है कि मेरी मौत के बाद दुश्मन मेरी लाश का अंग भंग करेंगे। सलीब पर लटकायेंगे,

जिससे आपको दुख पहुंचेगा।''

हजरत असमा (रजि०) ने जवाब दिया:

''बेटे! जब बकरी जब्ह कर ली जाए तो फिर उसकी खाल खींची जाए या उसके जिस्म के टुकड़े किये जाएं, उसे क्या परवाह? तुम अल्लाह पर भरोसा करके अपना काम किये जाओ। हक की राह में तलवारों से कीमा होना गुमराहों की गुलामी से हजार गुना बेहतर है। मौत के भय से गुलामी की जिल्लत कभी कुबूल न करना।''

अपनी मां के इन हौसला भरे वाक्यों को सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०) का दिल भर आया और उन्होंने अपनी मां का सर चूम लिया और कहा:

''अम्मा जान! मेरा भी यही इरादा था। कि मर्दों की तरह लड़ू और लड़ते हुए जान दे दूं। लेकिन आप से मशविरा करना जरूरी समझता था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको अपने से बढ़कर साबित कदम पाया। आपकी बातों ने मेरा ईमान ताजा कर दिया है।''

उस दिन हजरत अब्दुल्लाह (रजि०) बड़ी बहादुरी से लड़े और लड़ते–लड़ते शहीद हो गये।

हजरत असमा (रजि०) इल्मो फज्ल के एतिबार से भी बड़ा ऊँचा दर्जा रखती थीं। उनसे ५६ हदीसे रिवायत की गयी है।

हजरत असमा (रजि०) ने बहुत लंबी उम्र पायी थी और अपनी जिन्दगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने जाहिलियत का जमाना भी देखा। पूरा दौरे रिसालत देखा। खुल्फा–ए–राशिदीन का पूरा दौर देखा। अपने बेटे को खलीफा की हैसियत से भी देखा और उसकी दर्दनाक शहादत भी देखी। उन पर बार–बार मुसीबतों के पहाड़ टूटे लेकिन उन्होंने हर मौके पर धैर्य और संयम का सुबूत दिया।

(कान्ति के शुक्रिये के साथ)

(पृष्ठ ४० का शेष)

बाद आप क्रेडिट कार्ड के लिए जेब में हाथ डालते है और पाते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड अभी थोड़ी देर पहले जेब में था अब गायब है। आप पूरी दुकान छान मारते है मगर कोई फायदा नहीं। घबराकर आप इसकी सूचना बैंक को देने की सोचते है और पता चलता है मोबाइल भी गायब है। अब आपको इनके खोने का गम तो होगा ही साथ ही यह डर भी होगा कि ये चीजें गलत हाथों में न पड़ जाएं। अब अगर हम आपकों बताएं कि आपकी जेब से निकलने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड या मोबाइल फोन स्वयं ही नकारा हो जाएगा तो शायद आपकी आधी चिंता दूर हो जाए।

फिनलैंड स्थित टेक्निकल रिसर्च वीटीटी ने एक ऐसी नई तकनीक ईजाद की है जिसकी सहायता से भविष्य में क्रेडिट कार्ड या मोबाइल फोन में आपके चाल के पैटर्न को रिकार्ड कर लिया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि जैसे ही कार्ड या फोन किसी दूसरे जेब में पहुंचेगा, वह चाल में फर्क को पहचान लेगा और तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसमें सही पासवर्ड न डाला जाए। वीटीटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सेलफोन का प्रोटोटाइप मॉडल भी इजाद किया है।

इसमें खास मोशन सेंसर लगे होते हैं जिनकी सहायता से यह व्यक्ति के कदमों के पैटर्न को रिकार्ड कर इसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। चाल में छोटे–मोटे परिवर्तन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता मगर चाल एकदम ही बदल जाए तो यह लॉक हो जाता है और प्रयोग करने वाले से पासवर्ड की मांग करता है। अगर फोन आपका ही तो पासवर्ड डालकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई लोगों पर करके देखा गया और पाया कि ६८ प्रतिशत मामलों में फोन अपने मालिक को पहचान लेता है। अब वीटीटी के वैज्ञानिक ऐसी कंपनी की तलाश में जो इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए उत्सुक हों।

प्रार्थना

हे प्रभु आनन्द दाता
ज्ञान हम को दीजिए
शीघ्र सारे दुर्गुणों को
दूर हम से कीजिए
सत्य नामी सत्यगामी
सत्यधर्मी हम बनें
सत्य ही पर हम जियें
और सत्य ही पर हम मरें
पीछे रहने वालों को हम
साथ ले आगे बढ़ें
और अनाथों बे सहारों
के सहायक हम बनें
श्रम से घबराएं ना हम
देश की सेवा करें
देश पर हैं दो हमारे
बात ये हम मान लें
इस जगत का देश तो है
क्षीण इस को जान लें
आप ने जो दूत भेजे
मन से मानें हम उन्हें
और अन्तिम दूत का अब
मार्ग हम ग्रहण करें

हिन्दुस्तान में दीनी मदरसों का दौर

मौ० अब्दुल करीम पारीख

मदरसे का शब्द "दर्स" से निकला है और दर्स कहते हैं पठन पाठन अर्थात पढने और पढ़ाने को, सीखने सिखाने को। इसके लिए दिल्ली में और इधर उधर छोटे छोटे मदरसे मुसलमान आलिमों ने खोल लिए। कहीं पांच बच्चे और कहीं दस बच्चे आ रहे हैं। मसिजदों के अन्दर भी मदरसे शुरू हो गये कि नमाज के बाद कहीं किसी को कोई बात पूछनी हो कि रोजा कैसे रखा जाए? ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है? यह सब बातें मदरसे के आलिम बताते भी रहते हैं। अब होते होते धीरे धीरे अरबी मदरसों की यह लाइन देहातों में जगह जगह फैलने लगी। वर्तमान में मदरसों के बारे में जो शक किया जा रहा है इस लेख में हम उसका सारांश बताएंगे कि इन मदरसों में कुर्आन और हदीस की तालीम के साथ–साथ जो सबसे बड़ा काम हुआ कि वह बेसहारा, बच्चे, गरीब लोगों के बच्चें जिन्हें उनके मां बाप पाल पोस नहीं सकते। उनको पढ़ा नहीं सकते उनको कहीं नौकरी या काम काज नहीं मिल सकता, ऐसे बच्चों की संख्या तब भी अधिक रही और अब भी उनकी संख्या अधिक ही है। जिनके पास पैसा है वह तो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते है वह अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते।

अरबी मदरसों ने उच्च स्तर के उलमा और जंगे आजादी के नेता पैदा किये। मदरसों में तो बड़ी हद तक बेसहारा और मजबूर लोगों के बच्चे ही आते है। मदरसों में निचले वर्ग के बच्चों के आने के बावजूद भी अरबी मदरसों ने बडे–बड़े उलमा, बुद्धजीवीय और योग्य स्कालर्स पैदा किये। जब मौलाना महमूदुल हसन साहब (रह०) हजरत मौलाना मुफती किफायतुल्लाह साहब रह० हजरत मौलाना मुफती अतीकुर्रहमान उसमानी साहब (रह०) हजरत मोलाना सैय्यिद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब (रह०), हजरत मौलाना सैय्यिद अबुलहसन अली नदवी (रह०) ऐसे कितने ही अन गिनत बड़े बड़े उलमा हैं जिनके नाम गिनाएं तो हजारों की लिस्ट तैयार होगी। बावजूदे कि मदरसे में क्रीम आफ सोसाइटी **(CREAM OF SOCIETY)** के बच्चे नहीं जाते लेकिन यह इस्लामी तालीम और कुर्आन व हदीस की तालीम का फैज (वर्दान) था कि मदरसे से पढ़कर इतने बड़े बड़े लोग निकले। हजरत मौलान अबुल कलाम आजाद (रह०) मदरसे के आदमी नहीं थे लेकिन मदरसे से बाहर के भी नहीं थे। वह तो अरबी मदरसों के उल्लामा के मार्ग दर्शक थे।

अंग्रेजों के खिलाफ मदरसे के उलमा ने कांग्रेस का साथ दिया। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि आन्दोलन तो नहीं बना यह लेकिन जगह जगह उलमा बैठ गये। उसी जमाने में थोड़ा आगे बढ़ कर स्वतंत्रा संग्राम (जंगे आजादी) शुरू हुआ। अंग्रेजों का दौर आया उन्हें हिन्दुस्तान से निकाला गया। उसमें कांग्रेस का जो रोल रहा, कांग्रेस के इस रोल में बड़ी भारी संख्या उन उलमा की थी जो मदरसे से पढ़कर निकले हुए थे और उन्हों ने जंगे आजादी में कांग्रेस का साथ दिया। इन उलमा–ए–हक में देवबन्द, सहारनपुर, नदवा आदि के सभी उलमा थे। यह तो बड़े बड़े मदरसे है जिनको लोग जानते हैं। जंगे आजादी में हिस्सा लेने वाले अधिकतर मदरसे के लोग थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य **(Historycal Fact)** है। ऐतिहासिक घटना है कि यू०पी० प्रान्त के जिला जौनपुर से लेकर बंगला देश के कुनार गांव तक ३० हजार मुसलमान आलिमों को अंग्रेजों ने जंगे आजादी में भाग लेने के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया। यह सब ६० प्रतिशत लोग मदरसे के लोग थे।

मदरसों की खिदमत में हिन्दुओं और सिखों का हिस्सा:

इसके साथ यह भी कह देता हूं कि मुसलमान हाथ से कुर्आन शरीफ लिखते थे और यह बहुत बड़ी चीज थी और यह कला **(ART)** थी और आज भी यह जारी है लेकिन जब हिन्दुस्तान में छापाखाना आया तो सबसे पहले लाहौर में सिखो ने "कुर्आन मजीद" छापा जबकि यह काम मुसलमानों को करना चाहिए था लेकिन मुसलमान बादशाहों को इसकी फुर्सत कहां थी। अब भी सिखों की बिरादरी कुर्आन मजीद को छाप रही है। जय बसंत सिंह के नाम से दिल्ली में एक कम्पनी थी जिसे मैं ने १९८४ ई० में देखा भी है। जब शशी भूशन साहब इसके डाइरेक्टर थे। उनसे मेरी

मुलाकातें भी थीं। कुर्आन शरीफ के बारे में मेरा पचास वर्षीय अनुभव भी है। उस समय हजारों रूपये के कुर्आन शरीफ इन से लेता था जबकि कुछ कारोबारी आवश्यकताओं के कारण उन्होंने "एदारा उशअते इस्लाम टरस्ट" के नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया और आज तक यह फर्म जारी है। इसमें अब भी कुर्आन मजीद और उसके अनुवाद, हदीस पाक आदि की पुस्तकें छपती हैं जो मदरसों के पाठयक्रम तक में शामिल हैं। मुंशी नवल किशोर लखनऊ मुंशी नन्द कुमार अवस्थी लखनऊ और दयाल प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली इतने तो मुझे याद हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत हो सकते हैं। हिन्दु भाइयों और सिख भाइयों की बड़ी बड़ी फरमों ने काफी संख्या में कुर्आन और हदीस और मदरसों के कोर्स की पुस्तकें छापी हैं और बड़ी खिदमत की है और ताज कम्पनी, फरीद बुक डिपों आदि का नाम भी दुन्या में जरूर हुआ परन्तु एक नाम "अदार–ए–उशाअते इस्लाम टरस्ट" का है जो पंजाबी सिख हजरात चलाते हैं। अब भी उनका छपा हुआ कुर्आन मजीद हिन्दुस्तान से मिडिल ईस्ट (MIDDLE-EAST) तक के लोग खरीदते हैं। उनका कागज प्रिंटिंग आदि मशहूर हैं। इस प्रकार हिन्दुओं और मुसलमानों का अब भी साथ रहा है और यह सब पुस्तकं मदरसों और मस्जिदों में पढ़ी पढ़ाई जाती हैं। यदि यह आतंकवादी किताबें होती तो हिन्दू फर्म "मुंशी नवल किशोर" और जयबसंत सिंह आदि इनको कैसा छापते और क्यो छापते? कुर्आन और हदीस का कोर्स अगर हिन्दुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का होता तो डेढ़ सौ वर्ष तक मुंशी नवल किशोर साहब कैसे छापते?

हिन्दुस्तान की तालीमी हालत:-

हिन्दुस्तान की तालीमी हालत यह है कि छोटे बच्चे का K.G. के अन्दर दाखला हो तो स्कूल के जिम्मेदार बड़ी रकम डोनेशन के रूप में मांगते है। मेरा स्वयं का जाती अनुभव है कि मेरे एक मित्र बलजीत राय कुहली साहब लाहौर से हिन्दुस्तान आए और नागपुर में बस गये। उनके नाती को दिल्ली के इंगलिश मीडियम स्कूल में दाखला कराना था तो उन्हों ने मुझे से कहा कि इस से सिफारिश करो, उससे कहो। मैंने कई बड़े लोगों से कहा पत्र भी लिखा परन्तु दाखिला नहीं हुआ। और जब किसी तरह दाखला होने का समय आया तो स्कूल प्रबन्धकों ने K.G. में दाखले के लिए एक बड़ी रकम मांगी। जब कुहली खान्दान यह रकम देने के लिए तैयार हुआ तो स्कूल प्रबन्धकों ने और भी अधिक बड़ी रकम तलब करनी शुरू कर दी। अब मैं पूछता हूं कि K.G. में दाखले कि जब इतनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है तो मध्यम वर्ग के लोग, गरीब इंसान अपने बच्चों को किस प्रकार तालीम दिलायेंगे? अब मैं सुनाता हूं आपकों अरबी मदरसों की बात।

तालीम देते हैं, खाना खिलाते है बेसहारा लड़कों से कुछ भी नहीं लेते

अब रही बात मदरसों वालों की तो वह बच्चों के मां बाप से पांच पैसा भी दाखिला का नहीं लेते। मिसाल के तौर यदि मदरसे में कोई आदमी गया और कहा कि साहब मैं मजदूर आदमी हूं। मेरी औरत का देहान्त हो गया है। मौलाना मेरे बच्चों को संभालो मैं अपने पास रख नहीं सकता तो मदरसे वाले उसे रख लेते हैं। तीन टाइम बच्चों को खाना खिलाते हैं, कपड़े भी देते हैं, दवा इलाज का खर्च भी बर्दाश्त करते हैं। उसको पढ़ना सिखाते हैं। कुर्आन व हदीस की तालीम भी देते हैं। नमाज के नियम सिखाते हैं तथा जिन्दगी की आवश्क चीजे सिखाते हैं। कुर्आन मजीद का हाफिजा भी कराते हैं जिसे हिन्दी में कन्ठस्थ कहते हैं। हिन्दुस्तान में जितने हाफिज़ कुर्आन हैं उतना पूरी दुन्या में कहीं भी नहीं हैं अर्थात हाफिज़े कुर्आन बिना देखें ही कुर्आन मजीद पूरा पढ़ सकता है। रमज़ान मुबारक में तरावीह में हाफिज़ पूरा कुर्आन मजीद सुनाता है और सैकड़ों नमाज़ी खड़े होकर सुनते हैं। मैं हिन्दु भाइयों से कहता हूं कि रमज़ान में किसी मस्जिद में जाकर देखें कि एक आदमी मेहराब में खडे खड़े बिना देखें कुर्आन मजीद पढ़ता है और हजारों लोग उसेक पीछे खड़े होकर सुनते हैं। यह मदरसे का ही कोई आदमी होता है जो लोगों को कुर्आन मजीद पढ़कर सुनाता है।

मदरसे वालो की एक भूल

ऐसे मुसलमानों और मदरसे वालों ने भी एक गलती की कि हमारे हिन्दू भाइयों में जो पढ़े लिखे और समझदार लोग थे, उन्हें अगर मस्जिद और मदरसे में बुलाते रहते और इनसे सम्बन्ध रखते तो शायद आज जो सूरत है वह न रहती और जो भ्रम पैदा हो गया है वह भी न होता। कोई जलसा हो, बच्चों की परीक्षा हो रही हो या विद्यार्थियों को इनाम दिया जा रहा हो या दस्तार बन्दी आदि हो ऐसे औसरों पर पास पड़ोस के समझदार और पढ़े लिखे गैर मुस्लिम भाइयों को बुला लेना चाहिए कि वह भी आए और देखें कि मदरसा क्या है और उसमें क्यो हो रहा है? मदरसे द्वारा गरीब, यतीम अनाथ बच्चों की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई का

(शेष पृष्ठ २० पर)

इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है

डा० अब्दुल लतीफ चतुर्वेदी

बहुत से लोग नासमझी में समझते हे कि इस्लाम एक नया धर्म है। जो हजरत मुहम्मद सल्ल० का चलाया हुआ है तो यह उनकी भूल है इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है बल्कि इस्लाम ही सत्य प्रिय महापुरूषों और नबियों का धर्म रहा है। भले ही कई भाषाओं और समयों में इसका नाम अलग रहा हो। वास्तविक दृष्टि से सच्चा धर्म हमेशा एक एक रहा है। इसकी मौलिक शिक्षाये हमेशा एक रही हैं, जीवन के कुछ क्षेत्रों तथा कर्मकान्ड सम्बन्धित नियमों और परिपाटियों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन धर्म के मौलिक शिक्षाओं में कभी भी अन्तर नहीं हो सकता। क्योंकि मौलिक शिक्षाओं के बदल जाने के के बाद तो धर्म का रूप ही बदल जाता है।

धर्म का असल समबन्ध जीवन के वास्तविक तथ्यों और मानव स्वभाव से है। संसार के वास्तविक तथ्य और मानव स्वभाव और मानवीय प्रवृत्ति में जब परिवर्तन नहीं होता तो धर्म की मौलिकता और उसकी बुनियादी शिक्षायें कैसे एक इश्वर की उपासन और उनके आदेशों पर चलने की शिक्षादी। सभी ने इधर उधर भटकने के बजाए इस बात पर बल दिया कि ने खुदा के नबियों और पैगम्बरों के दिखाये हुए मार्ग पर चले ताकि उनका जीवन सफल व सार्थक बन जाए और ईश्वर के प्रकोप से बच जाए उसकी प्रशसकता और सर्मिप्य प्राप्त करने की चेष्ठा न करें।

इसके अलावा सभी नबियों और पैगम्बरें ने ईश्वर की तरफ से मानवों को सूचित किया कि जीवन केवल वहीं सांसरिक जीवन नहीं हो बल्कि मरने के बाद एक समय आयेगा जब सारे लोग ईश्वर के सामने एक न किये जायेंगे और उन्हें उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल दिया जायेगा। वह दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा। इसदिन हमारे बारे में निर्णय कर दिया जायेगा। फिर तो हम हमेशा हमेशा के लिए सुख शान्ति और ईश्वरीय अनुकम्पा के पास ठहरेंगे या सदैव के लिए हमारे हिस्से में सुख दुख, पीड़ित, यातनायें और इश्वरीय प्रकोप ही आयेगा।

इन नाजुक और भयप्रद सूचना सभी नेदी और इससे छुटकारा पाने के लिए मार्ग भी दिखाया। हमारी प्रकृति में जो सद की जिन्दगी की इक्षा और कामना जुड़ी हुई है। यह इक्षा और कामना तभी पूरी होगी जब नबियों के दिये गये संदेश पर विश्वास करें और अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे।

सत्य धर्म की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने सारे इन्सान को परस्पर एक दूसरे का शुभचिन्तक, सहयोगी और भाई की संज्ञा दी है। पारस्परिक भेद–भाव, दुश्मनी और घृणा के स्थान पर प्रेम सहानुभूति और बन्धुत्व की शिक्षा दी है। लोगों की जीवन के प्रत्येक भाग से न्याय, सत्य और ईश्वर के दिये हुए आदेशों का पालन करना सिखाया।

हजरत मुहम्मद सल्ल० ने धर्म की इन्हीं शिक्षाओं का मानव के सामने रखा जिनको पहले के नबियों और पैगम्बरों ने प्रस्तुत किया था। आप के लाये हुये धर्म को न तो नये धर्म की संज्ञा दी जा सकती है और न आपका किसी विशेष जाति और वर्ग का पथ प्रदर्शक कहना सही होगा।

आप सारे ही जगत को सत्य ध र्म दिखाने आये थे आपकी शिक्षा सारे मनुष्यों के लिए हे। इसलिये कि आप खुदा के आर्न्तमनवी है। अब आपके बाद कयामत तक कोई नया नबी आने वाला नहीं हो आपके द्वारा सत्य धर्म को पूर्ण रूप देकर सुरक्षित कर दिया गया है। आपका इन्कार करना समस्त नबियों और समस्त सत्य धर्मों का इन्कार करना है। आपकों मानने का अर्थ यह है कि हम पिछले सभी नबियों को मानें और उनका आदर करें। भल ही किसी भी देश में उनका जन्म हुआ हो और उनकी भाषा अलग–अलग हो।

लेखकों से

कृपया पन्ने के एक ओर लिखें एक लाइन छोड़ कर खुला खुला लिखें तथा सरल लिखें।

पाठकों से

कृपया पढ़े लिखे लोग अपने परामर्शों से वंचित न करें एवं यदि आप को सच्चा राही प्रिय है तो कम से कम एक ग्राहक बढ़ाने की कृपा करें। हम अपने गैर मुस्लिम पाठकों से भी यही अनुरोध करते हैं। (सम्पादक)

इसे कश्ती नहीं मिलती उसे साहिल नहीं मिलता

प्रो० मु० मुहसिन उस्मानी नदवी

कौन दिल से नहीं चाहता कि मुसलमान तरक्की करे और उनका मुस्तकबिल रौशन हो, लेकिन रौशन मुस्तकबिल किसे कहते हैं और उसके लिए अमल का क्या तरीका होना चाहिए इस बारे में फिक्र की यकसानियत नहीं, उलमा मुफक्किरीन और दानिश्वरों के तबके में लोगों की रायें मुखतलिफ हैं इस इखतिलाफ का तअल्लुक जेहनी साख्त से है जो माहौल और जेहनी तरबियत की वहज से जुदा गाना होती है हिन्दुस्तान में मुसलमान दुन्यावी तालीम में सबसे ज्यादा पसमान्दा है फसादात की खूँरेज तलवार सबसे ज्यादा इन्ही की गर्दन पर चलती रही है, हक तलफी सबसे ज्यादा इनही की होती रही है, आलमी सतेह पर वक्त की बड़ी ताकत इनके मुलकों को रौन्द्रती और पामाल करती रही है मुसलमानों के बहुत से मुल्क हैं एक दो को अलग करके सबके सब बड़ी ताकतों की जब्हा साई में मसरूफ है, इज़्ज़त व हुर्मत खोई गई है और उससे पहले इज्जते नफ्स मताअे नीलाम बन चुकी है और बहुत से लोगों के दिल से एहसासे जियां और शऊरे इन्हितात खतम हो चुका है।

इन्ही माहौल में ऐसे लोग भी है जो हजीमत और शिकस्त का एहसास रखते हैं और अपनी जेहनी साख्त के एतिबार से मिल्लत के मसअले का हल गुफ्तगू में या तहरीर व तकरीर में पेश करते है कुछ लोग मुसलमानों को ये नसीहत करते है। कि मुसलमानों को मगरबी उलूम में कमाल पैदा कर लेना चाहिए मगरबी तहजीब इखतियार कर लेने में भी हरज नहीं, मुसलमान अगर तालीम के जरये आला उहदों पर फाइज हो जाऐं और नौकरयों में उन्हें जगह मिल जाये और माल व जर की किसी कदर रेल पेल हो जाए तो मकसूद हासिल हो गया और यही काम्याबी के खुवाब की ताबीर है, खुशहाली और खुशजमाली और तमन्नाओं की मेराज है, इस तबके को इससे बहस नहीं कि अकदारे हयात मुसलमानों के मुआशरें में मौजूद है या नहीं है, इस तबके में दीनी किताबे न पढ़ी जाती हैं, न उर्दू किताबे खरीदी जाती हैं न इन घरों के बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना आता है।

मुसलमानों का एक ग्रिोह है जो कई तबकात पर मुशतमिल है इसके नजदीक रौशन मुस्तकबिल सिर्फ इसमें छिपा हुआ है कि मुसलमान बहुत ज्यादा दीनदार बन जाऐं और फिर दीनदारी का मफहूम भी सबका अलग अलग है– कुछ लोग अलम और ताजिया दारी को भी दीनदारी समझतें हैं, कुछ दूसरे लोगमरासिम खानकाही, नजरो नियाज और महफिले समाअ और उर्स को दीनदारी का मुरादिफ जानते है– कुछ लोगों के नजदीक सिर्फ अजकार और नवाफिल, गश्त और चिल्लों में दीन महसूर है ये ग्रिोह समझता है कि दीन में तरक्की करने से दुन्या बतौर इन्आम खुद बखुद मिल जाती हैं हुकूमत व सलतनत मकसूद नहीं सिर्फ आखिरत की तय्यारी करनी चाहिए दुन्या महज एक कैद खाना है और दुन्यावी नेमतें जनजीर व सलासिल की हैसियत रखती है दीनी खिदमात के बावजूद इस तबके का नुक्त–ए–नजर ब हैसियत मजमूई राहिबना है हुकूमत और उसके मकासिद और उसके तरीके कार पर और सियासी जमाअतों और उनके इदारों पर इस तबके की कोई नजर नहीं होती है इसे साजिशों का अन्दाजा नहीं होता तो तदारूक की कोशिश और तदबीर का सवाल ही नहीं रहता। यह सब चीजे उसके यहां खारिज अज बहस है इसके यहां दुन्या में आसइश की खुवाहिश गलत हैं और गोश–ए–उजलत में रहना उन की मेराज है वह हालात से मुकम्मल तौर पर बेखबर रहते है, वह जराये अबलाग और असबाब को इख्तियार करने के कायल नहीं है।

हिन्दुस्तान में दीनी मदारिस का वजूद बहुत अहम हैं उनके दम से बहुत से दीनी उलूम जिन्दा है।

उनके दम से उर्दू जबान जिन्दा है दीनी मसायल से वाकिफ उलमा हर जगह मिल जाते है, बहुत सी दीनी जमाअतों को उनसे कुमक मिलती रहती है, मदारिस के आलमगीर असरात की वहज से हुकूमत भी इस में मुदाखलत करना चाहती है लेकिन वह इनकिलाब जो हर पस्त को बाला करदे, जो जिन्दगी और जमाने में उजाला कर दे जो सिर्फ बारे इबादत नहीं बल्कि बारे

अमानत थी, बारे खिलाफत भी, बारे तहजीब व तमद्दुन भी मुसलमानों के शानों पर डाल दे और जो मुसलमानों को दुन्या की कौमों का काइद और इमाम बना दे इस इनकिलाब का आतिश फिशां अब मदारिस से नहीं फूट सकती है, इसीलिए कि उनमें वह लावा ही मौजूद नहीं है जो एक आतिश फिशां के लिए जरूरी है, तरक्की और रौशन मुस्तकबिल का इसलामी तसव्वुर और उसका वाजेह शउर बहुत से दीनदार तबकों और उनके बहुत से खवास और उलमा के पास भी नहीं है एक ग्रोह साहिल नजात के तसव्वुर से खाली है, दूसरे के पास तुफान का मुकाबला करने के लिए कश्ती और कोई सफीना नहीं है इसे कशती नहीं मिलती उसे साहिल नहीं मिलता।

इस्लाम दीन व दुन्या का जामे मजहब है, कुर्आन मजीद में सिर्फ आयात इबादत नहीं बल्की आयात खिलाफत भी है, सीरत रसूल स० में नमूना सिर्फ नवफिल और इबादत का नहीं मिलता है बल्कि आदिलना निजाम का नमूनाऔर हुकूमत के इन्तिज़ाम व इन्सिराम का नमूना भी मिलता है, गलबे के लिए कुर्आन में असलहा साजी का हुक्म है और अस्लहा साजी भी इस दर्जा की होनी चाहिए के दूसरी बड़ी ताकतों पर और मुसलमानों के दुश्मनों पर खौफ तारी हो जाए।

असलहा साजी के लिए टिक्नालोजी में महारत जरूरी है इन अहकाम के बरते न मिम्बर व मेहराब में है न खान काहों में है न मदरसों में, मुसलमानों की इस जमाने में इस वक्त दुन्या में जो रुसवाई हुई है उसकी बड़ी वजह मुसलमानों का साइंस सनअत, टिकनालोजी और इन्जीनियरिंग में दुन्या की दूसरी कौमों से पीछे रह जाना है। अगर मुसलमानों की दुन्या में इज्जत व इकराम की कोशिश करना वाजिब है तो मस्अले के ऐताबार से वाजिब का मौकूफ अलैह भी वाजिब होता है इसलिए इन उलूम का सीखना फर्ज किफाया के दर्जे में है, आलमी सतह पर हजीमत के बाद इन उलूम की अहमियत और भी बढ़ गयी है, यह मुतालबा नहीं किया जाता है कि उलमा अपने मदारिस में साइन्स और जदीद उलुम पढ़ायें, लेकिन ये मुतालबा जरूर है कि तलबा को इस लाईक बनाये कि वह दुन्या को समझ सके और दीन का पैगाम दुन्या की दूसरी कौमों तक पहुंचा सकें उलमा बर सरे मिम्बर मुसलमानों को ये पैगाम तो दे ही सकते हैं कि अगर उनके पास साइन्स और टिक्नालोजी से अगाही न होगी तो मुसलमान खिलाफत के तकाजों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं, उन्हें जदीद उलूम में भी दुन्या की इमामत करनी चाहिए असल, अहमियत जामे तसव्वुर की है, अगर यह जामे तसव्वुर मौजूद है तो कोई हरज नहीं कि एक मुसलमान किसी एक इल्म में इखतिसास हासिल करले और दूसरा मुसलमान दूसरे इल्म में, कुछ लोगों के पास कुर्आन व हदीस का गहरा इल्म हो और कुछ दूसरे लोगों के पास साइंस और टिकनालोजी का, नुक्त–ए–नज़र की गलती यह होगी कि उलमा सिर्फ कुर्आन व हदीस के इलम को दीनी इल्म समझें और साइंस और सनअत वगैरह को सिर्फ दुन्यवी उलूम और खारिज अज दीन, और दानिशवर हजारत अरबी और इसलामी उलूम को हिकारत की नजर से देखें।

इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुसलमान दीन और दुन्या दोनों को जमा करके एक ताकतवर कौम की हैसियत से उभरे, उनके पास निगाह जहां बीं हो, उनके पास कारे जहांबानी हो, एक तरफ उनकी मस्जिदें भी आबाद हों, कुर्आन की तिलावत का ज़मज़मा उनके घरों से सुनाई देता हो दूसरी तरफ वह असरी उलूम के माहिर हो, वह आला ओहदों पर भी फाइज हो, तिजारत और सनअत भी उनके हाथ में हो, और वह दुन्या की कियादत करने की पोजीशन में हो।

मुसलमान उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वह मदारिस के निसाबे तालीम पर अज सरे नौ गौर करें, दीनी ऐताबर से बिलकुल बुन्यावी नौइयत के जो मजामीन हैं उन के साथ साथ इस बात की गुंजाईश निकालनी चाहिए कि तलबा जदीद और नये नजरयात का थोड़ा बहुत इल्म रखखे इस दौर में उलूम की तरक्की जितनी तेज है, तबदीलियों की जो रुस्त व खेज है, इल्मी व फिक्री इनकिलाबात की जो बर्क रफतारी है तमद्दुन और इजादात की जो ताज़ाकारी है उसमें इस्लामी और दीनी रहनुमाई के लिए आलम को बेदार मगज होना चाहिए, जदीद जुबान में इजहारे ख्याल की उन में सालाहियत होनी चाहिए, न आईन नौ से डरना चाहिए,न तरजे कुहन पर अड़ना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार

डॉ० मुईद अशरफ नदवी

एक तुर्की फिल्म जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी।

एक तुर्की फिल्म "भेड़ियों की वादी" तुर्की और जर्मनी में धूम मचा रही है और जिन जिन सिनेमा घरोमें यह अमेरीका विरोधी फिल्म दिखाई जा रही है। इन सिनेमा घरों में तमाशाई फिल्म देखने के लिए टूटे पड़ रहे हैं। इस अमेरिकी विरोधी फिल्म की लोक प्रियता ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की इस कदर नींद उड़ा दी है कि उसे न केवल अमेरिका विरोधी करार दिया जा रहा है बल्कि नस्ल परस्ती और यहूदियों के खिलाफ अपमानजनक फिल्म कहकर उसकी यूरोप में दिखाने पर रूकावट खड़ी की जा रही है। जर्मनी में इस फिल्म के दिखाने से राजनीतिक घबराए हुए हैं। उनका कहना है कि कई यूरोपीय समाचारपत्रों का विचार है यह फिल्म डेनमार्क के कार्टून से लगी आग के बाद जलती पर तेल छिड़कने का काम करेगी।

तारो की मौत से होता है नये ग्रहों का जन्म

ग्रहों का निपर्माण तब होता है जब तोरों की मौत होती है। अमेरिकी खगोविदों के मुताबिक धमाकेदार विस्फोटों के साथ तारों की मृत्यु होती है और उससे छिटके पदार्थों से कोई नया ग्रह अस्तित्व में आता है। नासा के इन्फ्रारेड स्पिटजर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक पुच्छल डिस्क को ढूंढ निकाला जो किसी अत्यधिक घनत्व वाले तारे के अवशेषों से बने किसी ग्रह का हिस्सा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक १६ लाख किलोमीटर दूर स्थित अत्यधिक घनत्व वाले तारे की परिक्रमा करते गैस और धूल के बादलों का अध्ययन करने के बाद पाया गया कि संभवतः वह बादल धरती के आकार का एक गृह बनाने के लिए गुरूत्वाकर्षण बल के जरिये आपस में चिपके हुए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक यह माना जाता था गेहों का निर्माण तारों के जन्म के साथ होता है लेकिन ऐसे तथ्य पहली बार सामने आये है कि ग्रहों का निर्माण तारों की मौत से होता है।

इस्लाम और वैटिकन के बीच अच्छे सम्बन्ध काइम करने की दिशा में एक अच्छे कदम के तौर पर एक बड़े कारडिनल ने अटली के सरकारी स्कूलों में मुस्लिम विद्यार्थियों को इस्लीमियात पढ़ाने की अनुमत देने का समरथन किया है। कारडिनलज रीना टूमारटिनों ने कहा कि वह मुसलमानों के परसताव से सहमत है उन्होंनें कहा कि अगर किसी स्कूल में १०० मुसलमान बच्चें हो तो मुझे नहीं लगता कि वहा इस्लामियात पढ़ाने में कुई कठिनाई है। मारटिनों वैकिटन न्याय व शान्ति विभाग के अध्यक्ष है और ईसाई दुन्या में बहुत ही बाअसर समझे जाते है। मुसलमानों के एक संगठन ने प्रार्थना की थी कि मुस्लिम विद्यार्थियों को स्कूलों में हफ्ते में कम से कम एक घंटा इस्लामियात पढ़ाई जाए।

दुन्या की दूत के पिघलने से माहिरीन (विषयों) को चिन्ता

दुन्या की दूत कही जाने वाले तिब्बत के पठारों पर गलेशियर के पिघलने से वैज्ञानिकों की चिन्ताएं बढ़ती जा रही हैं। चीने ५८१ मौसम स्टेशनों पर दसों साल रिसर्च के बाद साइंस अकाडमी के सांइसदानों ने चेतावनी दी है कि तापमान में अधिकता के कारण तिब्बत के पठारों के मौसमी वातावर्ण की बिगडती हुई दशा पर समय रहते ही ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर दाग गुबांग ग्रांग ने बतया कि चीन के कुल गलेशियरों का ४७ प्रतिशत भाग इस पठार में है जो सालाना ७ प्रतिशत की दर से पिघल रहा है। वह इस नतीजे पर पहुंचे है कि इसका नतीजा हमारे सामने सूखा, रेगिस्तानों में बढ़ोत्तरी और धूल भरी अन्धियों की सूरत में भुगतना पढ़ रहा है। प्रोफेसर के अनुसार १९८० के बाद तिब्बत में औसतन तापमान ०.६ सेन्टीग्रेड बढ़ चुका है। तिब्बत की क्षेत्री सरकार के कथनानुसार हिमालियन क्षेत्र में तापमान हिमालियन क्षेत्र में तापमान में तबदीली के कारण सालाना लगभग ४२.५ करोड़ डालर से लगभग एक अरब १६ करोड़ डालर की हानि हो चुकी है।

फोन जो पहचाने चाल

जमकर खरीददारी करने के

(शेष पृष्ठ ३४ पर)